जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

वार्षिक लेखा

2011-2012

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय – वार्षिक लेखा 2011-2012

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	तुलन–पत्र	1
2	आय और व्यय लेखा	2
	31.03.2012 के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ	
3	अनुसूची–1 पूंजीगत निधि	3
4	अनुसूची–2 कॉर्पस निधि	4
5	अनुसूची–3 उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियाँ	5
6	अनुसूची–4 वर्तमान देयताएं और प्रावधान	6
7	अनुसूची–4.5 (ई) – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान	7
8	अनुसूची–5 स्थायी परिसम्पत्तियाँ	8
9	अनुसूची–5क स्थायी परिसम्पत्तियाँ (योजनागत)	9
10	अनुसूची–5ख स्थायी परिसम्पत्तियाँ (योजनेतर)	10
11	अनुसूची–5ग स्थायी परिसम्पत्तियाँ (अन्य)	11
12	अनुसूची–5घ अमूर्त परिसम्पत्तियाँ (पेटेंट्स और कापीराइट)	12
13	अनुसूची–6 कॉर्पस निधि और उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों से निवेश	13
14	अनुसूची–7 वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण व अग्रिम	14–16
	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियाँ	
15	अनुसूची–8 अनुदान/आर्थिक सहायता (निर्गम अनुदान और प्राप्त आर्थिक सहायता)	17
16	अनुसूची–9 शैक्षिक प्राप्तियाँ	18
17	अनुसूची–10 निवेशों से आय	19

18	अनुसूची–11 रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से प्राप्त आय	20
19	अनुसूची–12 अर्जित ब्याज	21
20	अनुसूची–13 अन्य आय	22
21	अनुसूची–14 पूर्व अवधि की आय	23
22	अनुसूची–15 स्थापना व्यय	24
23	अनुसूची–15'क' कर्मचारी सेवा निवृत्ति और सेवांत हितलाभ	25
24	अनुसूची–16 शैक्षिक व्यय	26
25	अनुसूची–17 प्रशासनिक व्यय	27
26	अनुसूची–18 मरम्मत और अनुरक्षण	28
27	अनुसूची–19 पूर्व अवधि के व्यय	29
31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूचियाँ		
28	अनुसूची--20 विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ	30–36
29	अनुसूची–21 आकस्मिक देयताएं और लेखाओं से संबंधित टिप्पणियाँ	37–39
30	प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा	40
भविष्य निधि और नई पेंशन योजना के लेखे		
31	तुलन–पत्र – भविष्य निधि खाता	41
32	आय और व्यय लेखा – भविष्य निधि	42
33	प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा – भविष्य निधि	43
34	तुलन–पत्र – नई पेंशन योजना	44
35	आय और व्यय लेखा – नई पेंशन योजना	45
36	प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा – नई पेंशन योजना	46
लेखाओं की लेखा–परीक्षा		
37	लेखाओं पर पृथक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन	47–49
38	पृथक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालय की टिप्पणियां	50–53

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
31 मार्च, 2012 को तुलन–पत्र

पूंजीगत/कार्पस निधि और देयताएं (राशि रुपयों में)

देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
पूंजीगत निधि	1	–	–
कार्पस निधि	2	20,11,36,465	15,04,00,092
उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	3	83,52,15,696	78,81,47,473
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	4	6,96,92,56,598	5,90,55,15,802
योग		**8,00,56,08,759**	**6,84,40,63,367**
परिसम्पत्तियाँ			
स्थायी परिसम्पत्तियाँ (निबल ब्लाक)	5	2,98,55,27,409	2,54,51,08,545
निवेश–उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियाँ	6	66,59,97,115	63,95,08,296
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम	7	2,89,38,98,364	2,54,88,92,195
पेटेंट्स और कापीराइट	5डी	36,36,153	–
पूंजीगत निधि	–	1,45,65,49,718	1,11,05,54,331
योग		**8,00,56,08,759**	**6,84,40,63,367**

विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ	20
संभाव्य देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियाँ	21

रा. मोहन
राकेश मोहन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर धर
शंकर धर
उप वित्त अधिकारी

राकेश कुमार वर्मा, (भा.ले. व ले.प.से.)
वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क. आय			
सहायता अनुदान/सहायता राशि	8	2,11,80,95,755	1,89,83,10,671
शैक्षिक प्राप्तियाँ	9	5,56,71,279	3,37,96,886
निवेशों से आय	10	3,04,91,657	1,47,34,889
रॉयल्टी, प्रकाशनों से आय	11	6,22,793	1,85,705
अर्जित ब्याज	12	3,81,70,022	1,94,27,078
अन्य आय	13	6,85,10,105	8,44,50,974
पूर्व अवधि की आय	14	25,52,247	1,00,000
योग (क)		**2,31,41,13,858**	**2,05,10,06,203**
ख. व्यय			
स्थापना व्यय	15	2,38,43,90,165	1,89,18,44,859
शैक्षिक व्यय	16	29,04,65,048	23,28,85,323
प्रशासनिक व्यय	17	38,25,59,534	37,38,71,544
मरम्मत व अनुरक्षण	18	4,42,67,495	4,11,51,098
मूल्यह्रास	5	14,46,76,690	11,88,12,762
पूर्व अवधि के व्यय	19	73,72,855	1,25,51,569
योग (ख)		**3,25,37,31,787**	**2,67,11,17,155**
शेष अधिशेष/(कमी) होने के कारण पूंजीगत निधि (क–ख) में अग्रेनीत कर दिया		–93,96,17,929	–62,01,10,952
विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ	20		
संभाव्य देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियाँ	21		

रा.मोहन
राकेश मोहन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर धर
शंकर धर
उप वित्त अधिकारी

राकेश कुमार वर्मा, (भा.ले. व ले.प.से.)
वित्त अधिकारी

31.03.2012 के अनुसार तुलन–पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची–1 पूंजीगत निधि

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2011–12	पूर्व वर्ष 2010–11
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	–1,11,05,54,331	–99,05,48,150
जमा – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान का पूंजीगत खर्च के लिए उपयोग	57,87,54,866	49,47,42,110
जमा – कॉर्पस निधि और उद्दिष्ट निधि में से खरीदी गई परिसम्पत्तियाँ	14,50,908	19,26,632
जमा – दान/उपहार स्वरूप प्राप्त परिसम्पत्तियाँ	70,225	6,27,026
जमा – प्रायोजित परियोजना निधियों में से खरीदी गई परिसम्पत्तियाँ	43,68,935	28,09,003
जमा – अन्य परिवर्धन	89,77,608	–
योग	**–51,69,31,789**	**–49,04,43,379**
घटा – आय और व्यय लेखा से स्थानांतरित घाटा	–93,96,17,929	–62,01,10,952
वर्ष के अंत में शेष	**–1,45,65,49,718**	**–1,11,05,54,331**

अनुभाग अधिकारी (लेखा) उप वित्त अधिकारी वित्त अधिकारी

अनुसूची–2 कॉर्पस निधि

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2011–2012	पूर्व वर्ष 2010–2011
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	15,04,00,092	14,17,93,787
जमा – मान्यता शुल्क और प्रभार	99,97,060	46,39,795
जमा – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरूपी अंशदान	3,00,00,000	–
जमा – परामर्श शुल्क में विश्वविद्यालय का हिस्सा	1,50,581	2,38,248
जमा – निवेश पर ब्याज और प्रोदभूत ब्याज	1,22,58,406	66,37,443
जमा – बचत बैंक खाते पर ब्याज	12,79,989	6,78,320
योग	**20,40,86,128**	**15,39,87,593**
घटा – राजस्व व्यय	29,43,545	35,78,925
घटा – पूंजीगत व्यय	6,118	8,576
योग	**29,49,663**	**35,87,501**
वर्ष के अंत में शेष	**20,11,36,465**	**15,04,00,092**

निम्न के द्वारा प्रस्तुत		
बैंक शेष	6,67,05,629	4,10,02,500
निवेश – भारतीय रिज़र्व बैंक बांड	7,41,29,000	6,89,29,000
निवेश – टीडीआर	5,12,00,000	3,34,00,000
प्रोद्भूत ब्याज	91,01,836	70,68,592
योग	**20,11,36,465**	**15,04,00,092**

अनुभाग अधिकारी (लेखा) उप वित्त अधिकारी वित्त अधिकारी

अनुसूची–3 : उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियाँ (राशि रुपयों में)

निधिवार विवरण										
विवरण	शैक्षिक विकास निधि	गृह निर्माण अग्रिम निधि	निप्पन फाउंडेशन निधि	वि.अ.आ., जेआरएफ निधि	वाहन निधि	एक्जिम बैंक पुस्तकालय निधि	अनुप्रयुक्त मानव आनुवंशिकी केंद्र निधि	राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि	वृत्तिदान निधि	योग
क. अथ शेष	13,36,88,975	13,66,27,946	5,13,58,270	53,42,889	3,07,28,081	5,90,458	82,711	27,16,03,713	15,81,24,430	78,81,47,473
ख. वर्ष के दौरान परिवर्धन	29,58,890	69,40,788	68,28,457	15,05,36,866	62,46,487	19,13,166	–	7,93,50,000	36,73,222	25,84,47,876
ग. निधियों के निवेश से आय	26,84,379	5,75,834	13,71,196	–	46,149	15,567	–	44,37,779	1,05,68,965	1,96,99,869
घ. निधियों के निवेश से प्रोदभूत ब्याज	25,28,292	26,81,577	11,23,507	–	–	–	–	82,34,048	–	1,45,67,424
च. अग्रिमों पर प्रोदभूत ब्याज	–	10,55,645	–	–	11,87,041	–	–	–	–	22,42,686
छ. बचत बैंक खाता पर ब्याज	34,14,917	29,76,213	1,28,703	9,28,802	7,25,062	2,633	2,377	17,89,610	47,176	1,00,15,493
ज. अन्य परिवर्धन (अन्य निधियों से अस्थाई रूप से प्राप्त)	–	–	–	2,68,00,000	–	–	–	–	–	2,68,00,000
योग (क)	14,52,75,453	15,08,58,003	6,08,10,133	18,36,08,557	3,89,32,820	25,21,824	85,088	36,54,15,150	17,24,13,794	1,11,99,20,821
ख. निधियों के उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय										
i) राजस्व व्यय	31,32,869	23,02,250	10,70,103	18,35,05,841	15,55,080	–	–	8,43,78,675	55,15,517	28,14,60,335
ii) पूंजीगत व्यय	13,95,107	–	–	–	–	49,683	–	–	–	14,44,790
iii) अन्य निधियों से लंबित अंतरण	–	–	–	–	–	–	–	18,00,000	–	18,00,000
योग (ख)	45,27,976	23,02,250	10,70,103	18,35,05,841	15,55,080	49,683	–	8,61,78,675	55,15,517	28,47,05,125
वर्ष के अंत में अंतशेष (क–ख)	14,07,47,477	14,85,55,753	5,97,40,030	1,02,716	3,73,77,740	24,72,141	85,088	27,92,36,475	16,68,98,277	83,52,15,696
निम्न के द्वारा प्रस्तुत										
रोकड़ और बैंक शेष	7,69,04,013	8,67,79,246	39,01,116	1,02,716	2,44,87,331	35,241	85,088	4,97,05,661	31,79,235	24,51,79,646
निवेश	6,10,00,000	3,75,00,000	5,47,15,407	–	–	24,36,900	–	22,12,96,766	16,37,19,042	54,06,68,115
प्रोदभूत लेकिन निवेशों पर अप्राप्य ब्याज	25,28,292	26,81,577	11,23,507	–	–	–	–	82,34,048	–	1,45,67,424
प्रोदभूत लेकिन अग्रिमों पर अप्राप्य ब्याज	–	2,15,94,930	–	–	1,28,90,409	–	–	–	–	3,44,85,339
अन्य निधियों में से अग्रिम	3,15,172	–	–	–	–	–	–	–	–	3,15,172
चालू वर्ष (2011–2012)	14,07,47,477	14,85,55,753	5,97,40,030	1,02,716	3,73,77,740	24,72,141	85,088	27,92,36,475	16,68,98,277	83,52,15,696

अनुभाग अधिकारी (लेखा) उप वित्त अधिकारी वित्त अधिकारी

अनुसूची–4 : वर्तमान देयताएं और प्रावधान

राशि रुपयों में

क. वर्तमान देयताएं	चालू वर्ष 2011–12	पूर्व वर्ष 2010–2011
1. जमा		
क. स्टाफ से जमा	–	–
ख. छात्रों से जमा –		
i पुस्तकालय जमा	1,24,350	1,22,750
ii छात्र छात्रावास प्रतिभूति	26,700	26,700
iii प्रतिभूति जमा	15,62,118	16,32,605
iv अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियाँ	9,21,780	8,18,570
ग. आपूर्तिकर्ता और संविदा से		
i बयाना जमा	10,30,763	11,47,544
ii प्रतिभूति जमा	62,44,936	98,29,119
घ. अन्य निधियाँ		
i कुलपति स्वनिर्णय निधि	2,39,993	1,56,993
ii अलुमनी एसोसिएशन निधि	13,95,484	11,66,537
iii छात्र सहायता निधि	17,79,935	13,91,665
ङ. अन्य जमा	1,52,43,825	1,23,51,674
2. सांविधिक देयताएं (जी.आई.एस., जी.पी.एफ., टी.डी.एस., वर्क कंट्रेक्ट टेक्स आदि)		
क. पुरानी देय राशि	–	–
ख. अन्य	2,27,60,044	2,24,13,880
3. अन्य वर्तमान देयताएं		
क) वेतन	5,11,08,213	4,64,06,429
ख) चल रही प्रायोजित/परामर्श/परियोजनाओं हेतु प्राप्तियाँ (नेट व्यय)	36,45,74,642	36,20,43,702
ग) प्रायोजित अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्तियों हेतु प्राप्तियाँ	15,09,76,247	11,79,01,016
घ) प्रायोजित सम्मेलनों/संगोष्ठियों हेतु प्राप्तियाँ (नेट व्यय)	–	–
ङ) वितरण हेतु परामर्श शुल्क, बौद्धिक शुल्क	–	–
च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार/राज्य सरकारों से प्राप्त अव्ययित अनुदान–अग्रेनीत	1,22,36,86,846	1,15,78,80,775
छ) अन्य (ब्यौरा दें)		
i एस. क्रेडिटर्स सहित बकाया देयताएं	3,11,42,385	3,57,30,151
ii अन्य चालू देयताएं	19,63,137	27,74,585
4. अग्रिम में प्राप्त आय	24,04,100	25,01,035
योग (क)	**1,87,71,85,496**	**1,77,62,95,727**
ख. प्रावधान	चालू वर्ष 2011–12	पूर्व वर्ष 2010–2011
1. अधिवर्षिता/पेंशन	4,21,36,29,174	3,28,66,78,000
2. उपदान	52,60,34,670	50,60,93,310
3. छुट्टी नकदीकरण	35,24,07,258	33,64,48,765
योग (ख)	5,09,20,71,102	4,12,92,20,075
योग (क + ख)	6,96,92,56,598	5,90,55,15,802

रा.मोहन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–4.5 (ई) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान

राशि रुपयों में

			चालू वर्ष 2011–2012	पूर्व वर्ष 2010–2011
क. योजना अनुदान : भारत सरकार				
शेष अग्रानीत			1,58,01,236	1,21,36,981
जमा – वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ			90,160,545	1,66,87,392
योग (क)			**10,59,61,781**	**2,88,24,373**
घटा – वापसियाँ			–	3,15,967
घटा – राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त			33,79,040	31,24,399
घटा – पूँजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त			41,44,583	95,82,771
योग (ख)			**75,23,623**	**1,30,23,137**
अप्रयुक्त अग्रानीत	**योग (क–ख)**		**9,84,38,158**	**1,58,01,236**
ख. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान				
शेष अग्रानीत			1,14,20,79,539	1,11,22,00,918
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ			2,67,26,36,598	2,41,36,69,383
योग (ग)			**3,81,47,16,137**	**3,52,58,70,301**
घटा – वापसियाँ			1,40,451	34,45,151
घटा – राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त			2,11,47,16,715	1,89,51,86,272
घटा – पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त			57,46,10,283	48,51,59,339
योग (घ)			**2,68,94,67,449**	**2,38,37,90,762**
अप्रयुक्त अग्रानीत	योग (ग–घ)		**1,12,52,48,688**	**1,14,20,79,539**
ग. राज्य सरकार से अनुदान				
शेष अग्रानीत			–	–
जमा – वर्ष के दौरान प्राप्तियां			–	–
योग (ङ)		–	–	
घटा – राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त			–	–
घटा – पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त				
योग (च)		–	–	
अप्रयुक्त अग्रानीत	योग (ङ–च)	–	–	
कुल योग (क+ख+ग)*			**1,22,36,86,846**	**1,15,78,80,775**

नोट : *पूंजीगत खाता पर अग्रिम शामिल है।

रा. मोहन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–5 स्थायी परिसंपत्तियाँ

राशि रुपयों में

क्र. सं.	परिसम्पत्तियाँ शीर्ष	कुल ब्लाक				वर्ष 2011–12 के लिए मूल्यह्रास				नेट ब्लाक	
		अथशेष 01.04.11	परिवर्धन	कटौतियाँ	अन्त शेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियाँ/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास	31.03.2012	31.03.2011
1	भूमि	21,08,53,672	–	–	21,08,53,672	–	–	–	–	21,08,53,672	21,08,53,672
2	स्थल विकास	6,91,78,274	–	–	6,91,78,274	–	–	–	–	6,91,78,274	6,91,78,274
3	भवन	76,21,94,042	17,22,04,010	–	93,43,98,052	15,44,65,889	1,86,87,961	–	17,31,53,850	76,12,44,202	60,77,28,153
4	सड़क व पुल	1,81,64,616	21,37,475	–	2,03,02,091	5,17,715	4,06,042	–	9,23,757	1,93,78,334	1,76,46,901
5	नलकूप व जल–आपूर्ति	3,46,55,661	2,75,426	–	3,49,31,087	53,64,487	6,98,622	–	60,63,109	2,88,67,978	2,92,91,174
6	सीवर और जल निकास	24,16,129	–	–	24,16,129	10,34,472	48,323	–	10,82,794	13,33,335	13,81,657
7	विद्युत स्थापना और उपकरण	13,60,52,707	1,08,01,375	7,58,781	14,60,95,301	6,57,47,316	73,04,765	7,16,664	7,23,35,417	7,37,59,884	7,03,05,391
8	प्लांट व मशीनरी	1,51,08,417	2,41,187	–	1,53,49,604	69,08,527	7,67,480	–	76,76,007	76,73,597	81,99,890
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	65,97,81,395	15,44,12,529	47,238	81,41,46,686	36,80,88,485	6,51,31,735	42,436	43,31,77,784	38,09,68,902	29,16,92,910
10	कार्यालय उपकरण	2,89,14,581	20,40,246	7,86,383	3,01,68,444	2,39,77,751	22,62,633	7,03,566	2,55,36,819	46,31,625	49,36,830
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	4,33,05,481	15,39,869	48,688	4,47,96,662	3,37,68,751	33,59,750	41,886	3,70,86,615	77,10,047	95,36,730
12	कंप्यूटर और पेरिफिरल्स	27,73,68,638	1,86,37,342	75,53,348	28,84,52,632	23,49,07,959	1,79,42,247	75,20,051	24,53,30,155	4,31,22,477	4,24,60,679
	साफ्टवेयर	3,92,22,255	47,84,237	–	4,40,06,492	3,71,40,630	47,78,836	–	4,19,19,466	20,87,026	20,81,625
13	फर्नीचर; फिक्सचर्स और फिटिंग्स	13,54,44,547	66,23,467	7,21,821	14,13,46,193	8,01,30,144	1,06,00,964	6,89,235	9,00,41,873	5,13,04,319	5,53,14,403
14	वाहन	76,23,128	–	–	76,23,128	75,98,597	90,427	6,33,091	70,55,933	5,67,195	24,531
15	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	48,49,16,393	2,96,93,359	–	51,46,09,752	43,76,90,390	1,09,26,843	–	44,86,17,233	6,59,92,519	4,72,26,003
	ई–जर्नल	2,80,77,748	35,910	–	2,81,13,658	2,63,61,806	11,91,728	–	2,75,53,534	5,60,124	17,15,942
16	कम लागत की परिसंपत्तियाँ	3,63,521	4,78,334	–	8,41,855	3,63,521	4,78,334	–	8,41,855	–	–
17	अन्य	7,63,63,000	–	–	7,63,63,000	7,63,62,999	–	–	7,63,62,999	1	1
	योग	3,03,00,04,204	40,39,04,766	99,16,259	3,42,39,92,711	1,56,04,29,440	14,46,76,690	1,03,46,929	1,69,47,59,201	1,72,92,33,510	1,46,95,74,764
18	प्रगति पर पूँजीगत कार्य	1,07,55,33,780	33,33,60,118	15,26,00,000	1,25,62,93,898	–	–	–	–	1,25,62,93,898	1,07,55,33,780
	कुल योग	4,10,55,37,985	73,72,64,884	16,25,16,259	4,68,02,86,610	1,56,04,29,440	14,46,76,690	1,03,46,929	1,69,47,59,201	2,98,55,27,409	2,54,51,08,545

अनुभाग अधिकारी (लेखा) उप वित्त अधिकारी वित्त अधिकारी

अनुसूची–5क योजनागत

राशि रुपयों में

क्र. सं.	परिसम्पत्तियाँ शीर्ष	कुल ब्लाक				वर्ष 2011–2012 के लिए मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		अथशेष 01.04.2011	परिवर्धन	कटौतियाँ	अन्त शेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियाँ/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास	31.03.2012	31.03.2011
1	भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	स्थल विकास	1,38,76,,326	–	–	1,38,76,,326	–	–	–	–	1,38,76,326	1,38,76,326
3	भवन	38,66,33,112	17,22,04,010	–	55,88,37,122	2,22,35,683	1,11,76,742	–	3,34,12,425	52,54,24,697	36,43,97,429
4	सड़क व पुल	–	21,37,475	–	–	–	–	–	–	–	–
5	नलकूप व जल–आपूर्ति	2,21,54,256	2,61,579	–	2,24,15,835	18,81,133	4,48,317	–	23,29,449	2,00,86,386	2,02,73,123
6	सीवर और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	विद्युत स्थापना और उपकरण	3,02,91,174	86,74,486	–	3,89,65,660	56,45,104	19,48,283	–	75,93,387	3,13,72,273	2,46,46,070
8	प्लांट व मशीनरी	87,55,634	5,287	–	87,60,921	9,56,577	4,38,046	–	13,94,623	73,66,298	77,99,057
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	41,80,40,391	15,16,06,754	–	56,96,47,145	11,33,58,296	4,54,51,772	–	15,88,10,068	41,08,37,077	30,46,82,095
10	कार्यालय उपकरण	48,98,434	16,09,871	–	65,08,305	15,02,091	4,88,123	–	19,90,213	45,18,092	33,96,343
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	2,03,18,633	14,47,782	–	2,17,66,415	49,66,265	16,32,481	–	65,98,746	1,51,67,669	1,53,52,368
12	कंप्यूटर और पेरिफिरल्स	13,03,71,722	1,67,63,263	19,950	14,71,15,035	10,33,93,654	2,94,23,007	3,990	13,28,12,671	1,43,02,364	2,69,78,068
	साफ्टवेयर	3,23,03,790	45,71,821	–	3,68,75,611	3,09,02,563	32,29,954	–	3,41,32,517	27,43,094	14,01,227
13	फर्नीचर; फिक्सचर्स और फिटिंग्स	5,71,34,768	47,90,650	–	6,19,25,418	1,83,61,515	46,44,406	–	2,30,05,922	3,89,19,496	3,87,73,253
14	वाहन	19,05,567	–	–	19,05,567	9,47,731	1,90,557	–	11,38,288	7,67,279	9,57,836
15	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	12,90,11,582	2,50,43,048	–	15,40,54,630	4,15,32,696	1,54,05,463	–	5,69,38,159	9,71,16,471	8,74,78,886
	ई–जर्नल	2,48,87,299	–	–	2,48,87,299	2,31,96,409	16,90,889	–	2,48,87,298	1	16,90,890
16	कम लागत की परिसंपत्तियाँ	92,542	3,15,995	–	4,08,537	92,542	3,15,995	–	4,08,537	–	–
17	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	1,28,06,75,230	38,94,32,021	19,950	1,66,79,49,826	36,89,72,260	11,64,84,035	3,990	48,54,52,305	1,18,24,97,521	91,17,02,970
18	प्रगति पर पूंजीगत कार्य	83,08,25,161	33,17,16,084	15,26,00,000	1,00,99,41,245	–	–	–	–	1,00,99,41,245	83,08,25,161
	कुल योग (1–18)	2,11,15,00,391	72,11,48,105	15,26,19,950	2,67,78,91,071	36,89,72,260	11,64,84,035	3,990	48,54,52,305	2,19,24,38,766	1,74,25,28,131

अनुभाग अधिकारी (लेखा)　　　उप वित्त अधिकारी　　　वित्त अधिकारी

अनुसूची–5 ख योजनेत्तर

राशि रुपयों में

क्र. सं.	परिसम्पत्तियाँ शीर्ष	कुल ब्लाक				वर्ष 2011–12 के लिए मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		अथशेष 01.04.11	परिवर्धन	कटौतियाँ	अन्त शेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियाँ/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास	31.03.2012	31.03.2011
1	भूमि	18,64,,00,000	–	–	18,64,,00,000	–	–	–	–	18,64,,00,000	18,64,,00,000
2	स्थल विकास	14,34,798		–	14,34,798	–	–	–	–	14,34,798	14,34,798
3	भवन	7,02,782	–	–	7,02,782	47,690	14,056	–	61,745	6,41,037	6,55,092
4	सड़क व पुल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	नलकूप व जल–आपूर्ति	38,14,577	13,847	–	38,28,424	3,18,293	76,568	–	3,94,862	34,33,562	34,96,284
6	सीवर और जल निकास	95,409	–	–	95,409	13,357	1,908	–	15,265	80,144	82,052
7	विद्युत स्थापना और उपकरण	3,74,21,944	21,26,889	–	3,95,48,833	96,78,445	19,77,442	–	1,16,55,887	2,78,92,946	2,77,43,499
8	प्लांट व मशीनरी	24,18,879	2,35,900	–	26,54,779	7,02,099	1,32,739	–	8,34,838	18,19,941	17,16,780
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	7,29,89,124	2,69,985	–	7,32,59,109	3,15,03,336	58,60,729	–	3,73,64,065	3,58,95,044	4,14,85,788
10	कार्यालय उपकरण	89,93,622	4,30,375	–	94,23,997	27,35,731	7,06,800	–	34,42,530	59,81,467	62,57,891
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	30,98,027	92,087	–	31,90,114	11,73,541	2,39,259	–	14,12,800	17,77,314	19,24,486
12	कंप्यूटर और पेरिफेरल्स	3,28,88,461	10,89,867	–	3,39,78,328	3,07,76,870	23,29,563	–	3,31,06,433	8,71,895	21,11,591
	साफ्टवेयर	68,27,458	1,55,716	–	69,83,174	67,46,376	1,43,367	–	68,89,743	93,431	81,081
13	फर्नीचर; फिक्सचर्स और फिटिंग्स	3,16,71,370	16,85,922	–	3,33,57,292	1,15,51,416	25,01,797	–	1,40,53,213	1,93,04,079	2,01,19,954
14	वाहन	17,63,169	–	–	17,63,169	7,73,244	1,76,317	–	9,49,561	8,13,608	9,89,925
15	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	7,53,45,319	22,84,858	–	7,76,30,177	3,74,93,200	77,63,018	–	4,52,56,218	3,23,73,959	3,78,52,119
	ई–जर्नल	31,90,449	35,910	–	32,26,359	31,90,448	14,364	–	32,04,812	21,547	1
16	कम लागत की परिसंपत्तियाँ	2,70,979	1,61,321	–	4,32,300	2,70,979	1,61,321	–	4,32,300	–	–
17	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	46,93,26,366	85,82,677	–	47,79,09,043	13,69,75,025	2,20,99,246	–	15,90,74,271	31,88,34,772	33,23,51,341
18	प्रगति पर पूंजीगत कार्य	7,84,03,016	16,44,034	–	8,00,47,050	–	–	–	–	8,00,47,050	7,84,03,016
	कुल योग (1–18)	54,77,29,382	1,02,26,711	–	55,79,56,093	13,69,75,025	2,20,99,246	–	15,90,74,271	39,88,81,822	41,07,54,357

अनुभाग अधिकारी (लेखा) उप वित्त अधिकारी वित्त अधिकारी

अनुसूची–5 ग अन्य

क्र. सं.	परिसम्पत्तियाँ शीर्ष	कुल ब्लाक				वर्ष 2011–12 के लिए मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
		अथशेष 01.04.11	परिवर्धन	कटौतियाँ	अन्त शेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियाँ/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास	31.03.2012	31.03.2011
1	भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	स्थल विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	भवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	सड़क व पुल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	नलकूप व जल–आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	सीवर और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	विद्युत स्थापना और उपकरण	50,516	–	–	50,516	2,526	2,526	–	5,052	45,464	47,990
8	प्लांट व मशीनरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	23,72,929	25,35,790	–	49,08,719	1,89,834	3,92,698	–	5,82,532	43,26,187	21,83,095
10	कार्यालय उपकरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	कंप्यूटर और पेरिफेरल्स	5,31,716	7,84,212	–	13,15,928	1,06,343	2,63,186	3,990	3,73,519	9,42,409	4,25,373
	साफ्टवेयर	91,007	56,700	–	1,47,707	36,403	59,083	–	95,486	52,221	54,604
13	फर्नीचर; फिक्सचर्स और फिटिंग्स	1,75,904	1,46,895	–	3,22,799	13,193	24,210	–	37,403	2,85,396	1,62,711
14	वाहन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	21,40,589	23,65,453	–	45,06,042	2,14,059	4,50,604		6,64,663	38,41,379	19,26,530
	ई–जर्नल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	कम लागत की परिसंपत्तियाँ	–	1,018	–	1,018	–	1,018	–	–	1,018	–
17	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	53,62,661	58,90,068	–	1,12,52,729	5,62,358	11,93,324	3,990	17,58,654	94,94,075	48,00,303
18	प्रगति पर पूंजीगत कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल योग (1–18)	53,62,661	58,90,068	–	1,12,52,729	5,62,358	11,93,324	3,990	17,58,654	94,94,075	48,00,303

नोट : वर्ष के दौरान निम्न में परिवर्धन शामिल हैं :

	परिवर्धन
दान में की गई परिसम्पत्तियाँ	70225
शैक्षिक विकास निधि	13,95,107
एक्जिम बैंक पुस्तकालय	49,683
जमा	6,118
प्रायोजित परियोजना	43,68,935
योग	58,90,068

अनुभाग अधिकारी (लेखा) उप वित्त अधिकारी वित्त अधिकारी

अनुसूची–5घ : पेटेंट और कापीराइट

राशि रुपयों में

विवरण		2011–2012
क.	पेटेंट	
1.	वर्ष 2008–09 में प्राप्त पेटेंट्स के 30.3.2012 को शेष (रुपये 34,050/– –रुपये 15,133/–)	18,917
2.	वर्ष 2010–11 में प्राप्त पेटेंट्स के 30.3.2012 को शेष (रुपये 8,73,549/– –रुपये 1,94,122/–)	6,79,427
3.	लंबित निर्णय के लिए आवेदित पेटेंट के संबंध में वर्ष 2009–10 व 2010–2011 के दौरान खर्च की गई राशि	17,31,385
4.	लंबित निर्णय के लिए आवेदित पेटेंट के संबंध में वर्ष 2011–12 के दौरान खर्च की गई राशि	12,06,424
	कुल	36,36,153

रा.मोहन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–6 : कॉर्पस निधि और उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि से निवेश

निवेश	चालू वर्ष 2011–2012	पूर्व वर्ष 2010–2011
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	–	–
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	–	–
3. डिबेंचर और बॉंड	12,18,30,000	6,89,29,000
4. अन्य आवधिक बैंक जमा रसीद में	54,41,67,115	57,05,79,296
योग	**66,59,97,115**	**63,95,08,296**

उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि (निधि–वार)

निधि		
1. कार्पस निधि निवेश	12,53,29,000	10,23,29,000
2. शैक्षिक विकास निधि निवेश	6,10,00,000	6,89,00,000
3. गृह निर्माण अग्रिम निधि निवेश	3,75,00,000	3,75,00,000
4. एग्जिम बैंक पुस्तकालय निधि	24,36,900	–
5. निप्पन फाउन्डेशन निधि निवेश	5,47,15,407	4,78,86,950
6. राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि निवेश	22,12,96,766	22,78,00,000
7. वृत्तिदान निधि निवेश	16,37,19,042	15,50,92,346
योग	**66,59,97,115**	**63,95,08,296**

रा.मोहन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर धर
उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–7 : वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

विवरण		चालू वर्ष 2011–2012	पूर्व वर्ष 2010–2011
क. वर्तमान परिसम्पत्तियाँ			
1. वस्तु सूचियाँ – लेखन सामग्री, सफाई सामग्री, भवन सामग्री, विद्युत सामग्री, प्रयोगशाला केमिकल और अन्य सामग्री तथा जल आपूर्ति सामग्री		58,57,778	36,84,553
2. रोकड़ और बैंक शेष			
क. हाथ रोकड़ (स्टाम्प्स, अग्रदाय रोकड़ और चैक/ड्राफ्ट सहित)		3,51,682	2,68,979
ख. अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष			
– बचत खातों में	1,82,51,77,464		1,36,52,40,307
– चालू खातों में	3,13,90,268		1,53,86,577
– जमा खाता (आवधिक जमा सहित) में	72,62,00,983	2,58,27,68,715	70,17,25,654
योग (क)		**2,58,89,78,175**	**2,08,63,06,070**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2011–2012	पूर्व वर्ष 2010–2011
ख. ऋण और अग्रिम		
क. ऋण	–	–
ख. कर्मचारियों को अग्रिम (बिना ब्याज के)	–	–
– त्योहार	7,31,411	8,46,911
– छुट्टी यात्रा रियायत	20,60,523	15,22,234
ग. वसूली योग्य अग्रिम व अन्य राशियाँ – नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में		
– उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	5,35,26,935	13,56,27,057
– पूंजीगत खाता पर अग्रिम – सिविल कार्य	6,50,88,198	8,36,47,176
– उद्दिष्ट निधि अग्रिम	3,15,172	39,62,706
– अन्य निधि अग्रिम	3,50,00,000	–
– अन्य	4,84,57,494	4,20,84,276
घ. पूर्वदत्त व्यय		
– बीमा	38,984	1,658
– अन्य व्यय	17,49,291	33,68,636
ङ. प्रोदभूत लेकिन अप्राप्य आय		
– निवेश से	–	–
उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	1,18,85,847	40,80,033
जमा खाता	6,09,689	1,08,941
कॉर्पस निधि	91,01,836	70,68,592
प्रायोजित परियोजना	1,04,80,458	79,53,430
अनुरक्षण खाता	85,04,382	38,87,696
योजनागत खाता में से किया गया आवधिक जमा	64,76,844	6,81,108
– कर्मचारियों को ब्याज पर दिए गए अग्रिम	3,80,23,657	3,97,11,160
च. अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ – वि.अ.आ., भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, अन्य से वसूली योग्य	10,60,813	11,67,68,646
छ. एन.पी.एस. टीयर–1 से प्राप्य	8,11,612	8,11,612
ज. दुकानों से प्राप्य आय	1,09,97,042	1,04,54,253
योग ख	**30,49,20,189**	**46,25,86,125**
योग (क+ख)	**2,89,38,98,364**	**2,54,88,92,195**

टिप्पणी : 1. संलग्नक 'क' बैंक शेषों के विवरण दर्शाता है।

2. चूंकि परिक्रामी निधि का सृजन स्टाफ के लिए गृह निर्माण, कंप्यूटर और वाहन अग्रिमों के लिए किया गया है, अतः अग्रिमों को उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों के भाग के रूप में दर्शाया जाएगा। ब्याज पर दिए गए इन अग्रिमों के शेषों को इस अनुसूची में नहीं दर्शाया जाएगा।

रा.मोहन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर शर्मा
उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

I. बचत बैंक खाते	2011–12	राशि रुपयों में
कॉर्पस निधि खाता		**6,67,05,629**
1. कॉर्पस निधि खाता	6,67,05,629	
जमा निधि खाता		**9,78,922**
2. जमा खाता	8,56,233	
3. छात्र सहायता निधि खाता	86,748	
4. छात्र खाता	35,941	
विकास योजनागत निधि खाता		**1,14,98,86,741**
5. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीबीटी) खाता	9,31,19,361	
6. विकास (योजनागत) खाता	73,94,19,638	
7. आधारिक संरचना विकास निधि खाता	31,73,14,335	
8. वि.अ.आ. योजनागत अध्येतावृत्ति खाता	33,407	
उद्दिष्ट निधि खाता		**24,51,79,645**
9. शैक्षिक विकास निधि खाता	7,69,04,013	
10. सीएएचजी निधि खाता	85,088	
11. वाहन निधि खाता	2,44,87,331	
12. एक्जिम बैंक पुस्तकालय निधि खाता	35,241	
13. गृह निर्माण अग्रिम निधि खाता	8,67,79,246	
14. निप्पन फांउडेशन निधि (एफ.सी.आर.ए.) खाता	39,01,116	
15. वृत्तिदान और चेयर खाता	31,79,235	
16. वि.अ.आ. जे.आर.एफ. अध्येतावृत्ति खाता	1,02,716	
17. वि.अ.आ. राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति खाता	4,97,05,661	
ईएमएफ खाता		**12,62,98,743**
18. पीयूआरएसई खाता	85,17,521	
19. प्रायोजित अध्येतावृत्ति खाता	10,99,971	
20. प्रायोजित अध्येतावृत्ति (भारतीय) खाता	5,81,45,060	
21. प्रायोजित परियोजना खाता	5,85,36,192	
अनुरक्षण निधि खाता		**26,75,18,052**
22. गोमती अतिथि गृह खाता	35,23,033	
23. सेवानिवृत्ति निधि खाता	4,00,78,372	
24. छात्रवृत्ति खाता	3,60,708	
25. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुरक्षण खाता	6,68,19,731	
26. विश्वविद्यालय प्राप्तियाँ खाता	12,53,45,941	
27. पेंशन निधि चालू खाता	3,13,90,268	
योग		**1,85,65,67,732**
II. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा		**72,62,00,983**
योग		**2,58,27,68,715**

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची–8 : अनुदान/आर्थिक सहायता (निर्गम अनुदान और प्राप्त आर्थिक सहायता)

राशि रुपयों में

विवरण	योजनागत			कुल योजनागत	योजनेत्तर वि.अ.आ.	चालू वर्ष योग	पूर्व वर्ष योग
	भारत सरकार	वि.अ.आ.	आईडीएफ				
शेष अग्रानीत –	1,58,01,236	65,67,76,280	37,59,21,259	1,04,84,98,775	10,93,82,000	1,15,78,80,775	1,12,43,37,899
जमा – वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	9,01,60,545	50,27,74,598	48,96,00,000	1,08,25,35,143	1,68,02,62,000	2,76,27,97,143	2,43,03,56,775
योग	10,59,61,781	1,15,95,50,878	86,55,21,259	2,13,10,33,918	1,78,96,44,000	3,92,06,77,918	3,55,46,94,674
घटा – वि.अ.आ. को वापसी	–	1,40,451	–	1,40,451	–	1,40,451	37,61,118
शेष	10,59,61,781	1,15,94,10,427	86,55,21,259	2,13,08,93,467	1,78,96,44,000	3,92,05,37,467	3,55,09,33,556
घटा – पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त (क)	41,44,583	30,90,15,402	25,53,68,170	56,85,28,155	1,02,26,711	57,87,54,866	49,47,42,110
शेष	10,18,17,198	85,03,95,025	61,01,53,089	1,56,23,65,312	1,77,94,17,289	3,34,17,82,601	3,05,61,91,446
घटा – राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त (ख)	33,79,040	19,48,04,029	14,04,95,397	33,86,78,466	1,77,94,17,289	2,11,80,95,755	1,89,83,10,671
शेष अग्रेनीत (ग)	**9,84,38,158**	**65,55,90,996**	**46,96,57,692**	**1,22,36,86,846**	**–**	**1,22,36,86,846**	**1,15,78,80,775**

(क) वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि में परिवर्धन के साथ–साथ स्थायी परिसम्पत्तियों में परिवर्धन के रूप में दर्शाया गया।
(ख) आय और व्यय खाते में आय के रूप में दर्शाया गया।
(ग) (i) तुलन–पत्र में वर्तमान देयताओं में दर्शाया गया और यह अगले वर्ष अथ शेष बन जाएगा।
(ii) परिसम्पत्तियों के स्तम्भ में बैंक शेष, निवेश और अग्रिम द्वारा दर्शाया गया।

नोट : उपरोक्त खर्च के अतिरिक्त योजनागत अनुदान में से वर्ष 2011–2012 के दौरान पेटेंट के लिए रुपये 12,06,424 की राशि खर्च की गई, इसे तुलनपत्र में अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया गया।

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

अनुसूची–9 : शैक्षिक प्राप्तियाँ

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2011–2012	पूर्व वर्ष 2010–2011
क. छात्रों से शुल्क		
क) शैक्षिक		
1. प्रवेश शुल्क	–	–
2. नामांकन शुल्क		
i शिक्षण शुल्क	1,63,90,186	1,45,13,259
ii पुस्तकालय शुल्क	67,235	78,771
iii अन्य	–	–
ख) परीक्षा		
1. वार्षिक परीक्षा शुल्क	–	–
2. अंक तालिका शुल्क	38,780	35,135
3. अन्य–पंजीकरण शुल्क, ऊपरी खर्च	–	–
ग) अन्य शुल्क		
1. चिकित्सा शुल्क	2,726	28,495
2. दीक्षान्त समारोह शुल्क	–	–
3. अन्य विविध शुल्क	10,93,058	1,45,387
ख. छात्रावास शुल्क	9,30,570	10,53,541
ग. प्रवेश फार्मों की बिक्री/प्रवेश परीक्षा शुल्क	3,61,34,845	1,76,66,108
घ. प्रश्न–पत्रों की बिक्री	5,82,880	23,690
ङ. अन्य शैक्षिक प्राप्तियाँ		
1. कार्यशाला के लिए पंजीकरण शुल्क	86,500	–
2. पंजीकरण शुल्क (अकादमिक स्टाफ कालेज)	3,44,500	2,52,500
योग	**5,56,71,279**	**3,37,96,886**

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

अनुसूची–10 : निवेशों से आय

राशि रुपयों में

विवरण	उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियाँ		योजनागत/योजनेत्तर	
	चालू वर्ष 2011–2012	पूर्व वर्ष 2010–2011	चालू वर्ष 2011–2012	पूर्व वर्ष 2010–2011
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	–	–	–	–
ख. डिबेंचर और बाँड पर	59,30,320	48,34,597	–	–
2. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा पर	2,83,36,973	3,11,10,963	3,04,91,657	1,47,34,889
3. अग्रिमों पर (गृह निर्माण अग्रिम और मोटरकार अग्रिम) (प्रोद्भूत)	22,42,686	34,23,925	–	–
4. अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर	1,00,15,493	56,10,723	–	–
योग	**4,65,25,472**	**4,49,80,208**	**3,04,91,657**	**1,47,34,889**
संबंधित उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि में अंतरण	**4,65,25,472**	**4,49,80,208**		
शेष	कोई नहीं	कोई नहीं		

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

अनुसूची–11 : रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2011–12	पूर्व वर्ष 2010–11
1. रॉयल्टी से आय	6,22,793	1,85,705
2. प्रकाशनों की बिक्री से आय	–	–
3. अन्य (ब्यौरा दें)	–	–
योग	**6,22,793**	**1,85,705**

रा. मोहन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर धर
उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–12 : अर्जित ब्याज

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2011–12	पूर्व वर्ष 2010–11
1. अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर	3,81,70,022	1,94,27,078
2. ऋण पर		
क. कर्मचारियों/स्टाफ	–	–
ख. अन्य	–	–
3. देनदारों और अन्य प्राप्यों पर	–	–
योग	**3,81,70,022**	**1,94,27,078**

रामोहन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर धर
उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–13 : अन्य आय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2011–12	पूर्व वर्ष 2010–11
1) मकानों से लाइसेंस शुल्क	39,61,867	24,62,318
2) अतिथि गृह से किराया	55,81,678	44,13,162
3) दुकानों, डाकघर, बैंक आदि से किराया	1,11,24,415	95,86,973
4) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	30,68,267	35,04,868
5) वाहनों के उपयोग के लिए प्रभार	25,200	3,500
6) जल और विद्युत प्रभार	2,40,92,126	1,82,60,348
7) परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर अधिशेष	5,16,155	4,90,771
8) के.स.स्वा.यो. वसूलियाँ	69,79,245	87,84,014
9) विविध आय (अनुपयोगी/खाली पड़े भंडारों, रद्दी कागज, निविदा कागज, प्रवेश पुस्तिका की बिक्री की कार्यवाही, जुर्माना और दण्ड, अन्य विविध आय)	1,31,61,152	3,69,45,020
योग	**6,85,10,105**	**8,44,50,974**

अनुभाग अधिकारी (लेखा) उप वित्त अधिकारी वित्त अधिकारी

अनुसूची–14 : पूर्व अवधि की आय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2011–12	पूर्व वर्ष 2010–11
पूर्व अवधि की आय	25,52,247	1,00,000
योग	**25,52,247**	**1,00,000**

अनुभाग अधिकारी (लेखा) उप वित्त अधिकारी वित्त अधिकारी

अनुसूची–15 : स्थापना व्यय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2011–12			पूर्व वर्ष 2010–11		
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग
क. वेतन, मजदूरी और भत्ते	1,72,90,049	95,24,28,041	96,97,18,090	1,12,10,452	89,82,99,116	**90,95,09,568**
ख. भविष्य निधि में अंशदान	–	53,94,509	53,94,509	–	60,27,552	**60,27,552**
ग. अन्य निधियों में अंशदान (नई पेंशन योजना)	–	10,943	10,943	–	3,99,814	**3,99,814**
घ. बोनस	13,816	40,28,633	40,42,449	–	40,14,426	**40,14,426**
ङ. छुट्टी यात्रा रियायत	–	77,41,061	77,41,061	–	1,23,24,797	**1,23,24,797**
च. चिकित्सा प्रतिपूर्ति	–	2,07,82,637	2,07,82,637	–	1,95,98,237	**1,95,98,237**
छ. शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ती	1,769	68,11,257	68,13,026	–	62,03,816	**62,03,816**
ज. स्टाफ कल्याणकारी व्यय	29,781	7,64,65,051	7,64,94,832	1,74,664	1,01,39,177	**1,03,13,841**
झ. कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ (पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण)	–	1,28,17,56,080	1,28,17,56,080	–	91,33,69,405	**91,33,69,405**
ञ. शुल्क और मानदेय	2,23,242	1,05,07,383	1,07,30,625	3,49,854	93,95,274	**97,45,128**
ट. छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान		9,05,913	9,05,913	–	3,38,275	**3,38,275**
कुल योग	**1,75,58,657**	**2,36,68,31,508**	**2,38,43,90,165**	**1,17,34,970**	**1,88,01,09,889**	**1,89,18,44,859**

रा.मोहन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर धर
उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–15'क' : कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ

राशि रुपयो में

क.	पेंशन	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	कुल
अथ शेष	3,28,66,78,000	50,60,93,310	33,64,48,765	**4,12,92,20,075**
जमा : अन्य संगठनों से प्राप्त अंशदान का पूंजीगत मूल्य	36,91,397	16,05,499	5,35,222	**58,32,118**
योग	**3,29,03,69,397**	**50,76,98,809**	**33,69,83,987**	**4,13,50,52,193**
घटा : वर्ष 2011–12 के दौरान वास्तविक भुगतान	21,27,19,738	5,28,74,016	3,57,75,055	**30,13,68,809**
31.3.2012 को उपलब्ध शेष	3,07,76,49,659	45,48,24,793	30,12,08,932	**3,83,36,83,384**
वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार 31.3.2012 को अपेक्षित प्रावधान	4,21,36,29,174	52,60,34,670	35,24,07,258	**5,09,20,71,102**
2011–12 में होने वाले प्रावधान	1,13,59,79,515	7,12,09,877	5,11,98,326	**1,25,83,87,718**
ख. नई पेंशन योजना में अंशदान				**1,37,46,471**
ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति				**84,67,465**
घ. सेवानिवृत्ति पर गृह–नगर के लिए यात्रा				**10,69,031**
च. जमा लिंक बीमा भुगतान				**85,395**
योग (क+ख+ग+घ+च)				**1,28,17,56,080**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)   उप वित्त अधिकारी   वित्त अधिकारी

अनुसूची–16 : शैक्षिक व्यय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2011–12			पूर्व वर्ष 2010–11		
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग
1. प्रयोगशाला प्रचालन व्यय	4,08,35,463	25,50,670	4,33,86,133	2,33,55,833	15,60,362	2,49,16,195
2. फील्डवर्क / सम्मेलनों में प्रतिभागिता	1,39,25,948	36,45,373	1,75,71,321	1,77,98,863	21,98,851	1,99,97,714
3. शिक्षण सहायता	2,41,036	6,23,886	8,64,922	2,98,110	7,21,382	10,19,492
4. संगोष्ठियाँ / कार्यशालाएँ	1,22,10,812	71,047	1,22,81,859	1,19,29,945	51,966	1,19,81,911
5. अतिथि शिक्षकों को भुगतान	25,22,395	2,52,100	27,74,495	16,96,422	6,83,433	23,79,855
6. शोध गतिविधियाँ	19,02,242	2,69,761	21,72,003	10,46,073	8,75,851	19,21,924
7. परीक्षा व्यय	84,11,390	2,57,64,278	3,41,75,668	56,12,999	67,95,876	1,24,08,875
8. छात्र कल्याणकारी व्यय	56,90,010	1,27,53,251	1,84,43,261	51,83,662	96,39,050	1,48,22,712
9. छात्रों को छात्रवृत्तियाँ / वजीफा	7,63,21,702	2,13,89,583	9,77,11,285	8,38,42,626	2,01,31,242	10,39,73,868
10. पत्रिकाएं और प्रकाशन	4,32,40,092	1,11,03,340	5,43,43,432	2,68,67,110	80,05,823	3,48,72,933
11. विविध शैक्षिक व्यय	55,70,349	11,70,321	67,40,670	35,35,097	10,54,747	45,89,844
कुल योग	**21,08,71,439**	**7,95,93,610**	**29,04,65,048**	**18,11,66,740**	**5,17,18,583**	**23,28,85,323**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)　　　　उप वित्त अधिकारी　　　　वित्त अधिकारी

अनुसूची–17 : प्रशासनिक व्यय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2011–2012			पूर्व वर्ष 2010–2011		
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग
क. संरचनागत						
i) किराया, दरें और कर	–	2,77,54,394	2,77,54,394	–	7,16,13,362	7,16,13,362
ii) विद्युत व्यय	2,80,00,000	8,40,43.,060	11,20,43,060	2,97,00,000	7,01,38,224	9,98,38,224
iii) जल व्यय	3,60,00,473	4,36,10,905	7,96,11,387	2,02,00,000	5,36,95,591	7,38,95,591
iv) सुरक्षा व्यय	–	4,33,40,639	4,33,40,639	–	3,36,65,303	3,36,65,303
v) वाहन परिचालन व्यय	1,015	8,37,632	8,38,647	1,14,543	9,12,256	10,26,799
vi) जनरेटर परिचालन व्यय	–	11,43,349	11,43,349	3,61,665	9,30,382	12,92,047
ख. संचार						
i) डाक और तार	18,280	20,07,924	20,26,204	7,84,603	17,19,901	25,04,504
ii) टेलीफोन और फैक्स	13,50,105	28,64,706	42,14,811	14,88,242	37,78,918	52,67,160
iii) इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभार	20,47,765	21,369	20,69,134	1,09,117	88,982	1,98,099
ग. शैक्षिक संस्थाओं को अभिदान	1,08,335	2,50,695	3,59,030	63,321	3,69,794	4,33,115
घ. सलाहकार समितियों आदि के सदस्यों को यात्रा भत्ता	4,01,644	26,90,956	30,92,600	2,44,236	14,14,493	16,58,729
च. विज्ञापन और प्रचार	–	22,82,940	22,82,940	1,36,339	4,24,709	5,61,048
छ. विधिक व्यय	1,200	5,03,414	5,04,614	–	6,77,633	6,77,633
ज. अन्य						
i) छपाई और लेखन सामग्री (उपयोग)	55,64,906	25,84,370	81,49,276	19,82,904	42,78,580	62,61,484
ii) पत्र और पत्रिकाएं	14,700	3,27,017	3,41,717	52,005	6,12,799	6,64,804
iii) आतिथ्य व्यय	3,19,380	21,65,769	24,85,149	4,59,689	14,28,608	18,88,297
iv) बैंक प्रभार	8,387	3,71,117	3,79,504	–	–	–
v) उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता	–	72,120	72,120	–	49,004	49,004
vi) श्रम प्रभार, दैनिक मजदूरी और अनुबंध श्रम	51,56,143	7,66,81,494	8,18,37,637	1,29,76,234	5,06,26,276	6,36,02,510
vii) स्थानीय यात्रा भत्ता	1,29,285	10,52,309	11,81,594	68,015	9,13,562	9,81,577
xiii) सफाई व्यय	7,56,895	22,24,627	29,81,522	9,50,140	22,31,994	31,82,134
ix) वर्दियां	–	20,40,227	20,40,227	–	19,39,308	19,39,308
x) फोटो कॉपी प्रभार	8,54,121	8,50,436	17,04,557	3,12,636	4,99,967	8,12,603
xi) कुलपति विवेकाधीन निधि आदि में अंशदान	–	1,00,000	1,00,000	–	–	–
xii) अन्य विविध प्रशासनिक व्यय	2,62,525	17,42,907	20,05,432	3,29,805	15,28,404	18,58,209
कुल योग	8,09,95,159	30,15,64,375	38,25,59,534	7,03,33,494	30,35,38,050	37,38,71,544

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

अनुसूची–18 : मरम्मत और अनुरक्षण

राशि रूपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2011–2012			पूर्व वर्ष 2010–11		
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग
क. सफाई सामग्री और सेवाएं	22,494	17,73,185	17,95,679	16,331	10,46,765	**10,63,096**
ख. बागवानी	58,877	14,02,306	14,61,183	6,605	13,58,934	**13,65,539**
ग. भवनों का अनुरक्षण	1,09,40,788	7,73,585	1,17,14,373	90,72,724	57,69,692	**1,48,42,416**
घ. सम्पदा का अनुरक्षण	14,90,506	36,04,604	50,95,110	57,896	32,85,444	**33,43,340**
च. कार्यालय उपकरणों का अनुरक्षण	14,28,829	39,74,859	54,03,688	11,87,502	33,25,661	**45,13,163**
छ. कंप्यूटरों का अनुरक्षण	61,60,737	21,16,259	82,76,996	47,79,039	22,65,672	**70,44,711**
ज. वाहनों का अनुरक्षण	–	18,70,063	18,70,063	380	12,37,159	**12,37,539**
झ. फर्नीचर और फिक्सचर्स का अनुरक्षण	3,38,693	6,49,812	9,88,505	2,01,084	2,23,770	**4,24,854**
ट. प्रयोगशाला उपकरणों का अनुरक्षण	71,29,494	2,38,933	73,68,427	61,70,180	7,87,351	**69,57,531**
ट. पुस्तक जिल्दसाजी प्रभार	23,815	2,69,656	2,93,471	1,07,673	2,51,236	**3,58,909**
कुल योग	**2,75,94,233**	**1,66,73,262**	**4,42,67,495**	**2,15,99,414**	**1,95,51,684**	**4,11,51,098**

रा.मोहन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर शरण
उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची–19 : पूर्व अवधि के व्यय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2011–12			पूर्व वर्ष 2010–11		
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग
1. स्थापना व्यय	8,44,744	3,81,335	12,26,079	1,11,694	69,788	1,81,482
2. शैक्षिक व्यय	2,23,531	2,04,860	4,28,391	26,65,636	—	26,65,636
3. प्रशासनिक व्यय	36,066	43,44,908	43,80,974	2,51,135	79,66,277	82,17,412
4. मरम्मत और अनुरक्षण व्यय	5,54,637	7,82,774	13,37,411	11,02,818	3,84,221	14,87,039
योग	**16,58,978**	**57,13,877**	**73,72,855**	**41,31,283**	**84,20,286**	**1,25,51,569**

रा.मोहन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर धर
उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची : 20

विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ

1. लेखाओं को तैयार करने का आधार

ये खाते, जब तक कुछ कहा न जाए, वास्तविक लागत परिपाटी के अन्तर्गत तैयार किए जाते हैं, और सामान्यतः प्रोद्भूत लेखांकन पद्धति पर आधारित हैं।

2. राजस्व पहचान

2.1 छात्रों से प्राप्त फीस, (ट्यूशन फीस के अतिरिक्त) प्रवेश फार्मों की बिक्री, रॉयलिटी और बचत खाता पर ब्याज का लेखा नकद आधार पर रखा जाता है। प्रत्येक सत्र में छात्रों से प्राप्त की गई ट्यूशन फीस का लेखा प्रोद्भूत आधार पर रखा जाता है।

2.2 भूमि, भवन और अन्य सम्पत्ति पर आय तथा निवेशों (वृत्तिदान निधियों को छोड़कर) पर ब्याज का लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है। अधिकतर व्यक्तिगत वृत्तिदान निधियों के लिए निवेश कम होता है तथा इसके अलावा, प्रोद्भूत ब्याज के साथ आय को दर्शाने पर उस सही राशि का पता नहीं चलता जो निधि विशेष के अन्तर्गत उन उद्देश्यों पर खर्च करने हेतु वास्तविक रूप में उपलब्ध है।

2.3 स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दिए जाने वाले अग्रिमों जैसे गृह निर्माण अग्रिम, वाहन तथा कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम पर ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष प्रोद्भूत आधार पर की जाती है, यद्यपि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के पूर्ण भुगतान के बाद शुरू की जाती है।

3. स्थायी परिसम्पत्तियाँ और मूल्यह्रास

3.1 स्थायी सम्पत्तियों को अधिग्रहण लागत के साथ आवक–भाड़ा, शुल्क और कर तथा परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण, स्थापना तथा कमीशन से संबंधित प्रासंगिक व प्रत्यक्ष खर्च शामिल करके बताया जाता है।

3.2 उपहार/दान के रूप में प्राप्त परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन, घोषित मूल्य, जहां कहीं उपलब्ध हो, पर किया जाता है; यदि यह मूल्य उपलब्ध न हो तो परिसम्पत्ति के मूल्य का अनुमान वर्तमान बाजार मूल्य और उसकी वास्तविक दशा के आधार पर लगाया जाता है। इन परिसम्पत्तियों को पूँजी निधि में क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्तियों में मिला दिया जाता है। संबंधित परिसम्पत्तियों पर लागू दरों से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

3.3 उपहार के रूप में प्राप्त पुस्तकों का मूल्यांकन उन पर अंकित विक्रय–मूल्य के आधार पर किया जाता है। जहां मूल्य अंकित नहीं है, वहाँ मूल्यांकन के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है।

3.4 इलेक्ट्रोनिक जर्नलों (ई–जर्नल) को आन–लाइन एक्सेस से प्राप्त सीमित लाभों के आधार पर पुस्तकालय–पुस्तकों से अलग किया गया है। यद्यपि, ई–जर्नलों का कोई मूर्त आकार नहीं होता, अतः इनका अस्थाई रूप से पूंजीकरण इस पर हुए खर्च और शैक्षिक एवं शोध स्टाफ द्वारा निरन्तर अर्जित ज्ञान के संदर्भ में प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पुस्तकालय–पुस्तकों के सम्बन्ध में उपलब्ध 10% मूल्यह्रास दर के बदले ई–जर्नलों के सम्बन्ध में 40% मूल्यह्रास दर उपलब्ध करायी जाती है।

3.5 साफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए किए गए खर्च को कंप्यूटरों और पेरिफिरिल से अलग कर लिया गया है, क्योंकि ये अमूर्त रूप में होने के अतिरिक्त जल्दी ही अप्रचलित हो जाते हैं। कंप्यूटर और पेरिफिरिल के लिए उपलब्ध मूल्यह्रास की 20% दर की अपेक्षा साफ्टवेयर के लिए मूल्यह्रास की दर 40% उपलब्ध कराई जाती है।

3.6 स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन, उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास कम करके किया जाता है। स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की दर सरलरेखा पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं :

1.	भूमि	0%
2.	स्थल विकास	0%
3.	भवन	2%
4.	सड़कें और सेतु	2%
5.	नलकूप और पानी की आपूर्ति	2%
6.	सीवर और जल निकासी	2%
7.	विद्युत व्यवस्था तथा उपकरण	5%
8.	प्लांट और मशीन	5%
9.	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	8%
10.	कार्यालय उपस्कर	7.5%
11.	दृश्य–श्रव्य उपकरण	7.5%
12.	कंप्यूटर और पेरिफिरिल	20%
13.	फर्नीचर, फिक्सचर्स और फिटिंग	7.5%
14.	वाहन	10%
15.	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	10%
16.	ई–जर्नल	40%
17.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
18.	अन्य	10%

3.7 वर्ष के दौरान हुए परिवर्धनों पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास उपलब्ध कराया जाता है।

3.8 जहां किसी परिसम्पत्ति का पूर्ण मूल्यह्रास हो जाता है तो उस परिसम्पत्ति को तुलन–पत्र में रू 1 के अवशिष्ट मूल्य पर लाया जाता है और इस पर आगे मूल्यह्रास नहीं होगा। इसके बाद, मूल्यह्रास की गणना उस परिसम्पत्ति शीर्ष पर लागू मूल्यह्रास की दर से प्रत्येक वर्ष के परिवर्धनों पर प्रथक रुप से की जाती है।

3.9 उद्दिष्ट निधि और प्रायोजित परियोजनाओं की निधि में से सृजित की गई परिसम्पत्तियाँ, जहां इन परिसम्पत्तियों का मालिकाना हक विश्वविद्यालय से जुड़ा होता है, को पूंजी निधि में क्रेडिट करते हुए और विश्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्तियों में मिला दिया जाता है। सम्बन्धित परिसम्पत्तियों पर लागू दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। प्रायोजित परियोजना निधियों में से सृजित की गई उन परिसम्पत्तियों, जिनका मालिकाना हक प्रायोजक के पास सुरक्षित रहता है, लेकिन परिसम्पत्तियाँ विश्वविद्यालय के पास रहती हैं और वह इनका उपयोग करता है, का विवरण लेखाओं पर टिप्पणियों में अलग से दिया जाता है।

3.10 ऐसी परिसम्पत्तियाँ जिनका प्रत्येक का पृथक मूल्य रु. 2000 या इससे कम (पुस्तकालय पुस्तकों को छोड़कर) है, इनको 1.4..2010 से लघु मूल्य की परिसम्पत्तियाँ माना जाता है। इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के अर्जन के समय इन पर 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास उपलब्ध कराया जाता है। फिर भी इस प्रकार की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष लेखांकन और नियंत्रण धारक द्वारा जारी रहता है।

4. **पेटेंट** : पेटेंट प्राप्त करने के लिए समय–समय पर किया गया खर्च (आवेदन शुल्क, विधि खर्च आदि) अस्थाई रूप से पूंजीकृत किया जाता है और इसे तुलनपत्र में अलग शीर्ष के रूप में दर्शाया जाता है। यदि पेटेंट के लिए आवेदन रद्द हो जाता है तो जिस वर्ष में आवेदन–पत्र रद्द हुआ है उसमें पेटेंट विशेष पर खर्च किए गए संचयी व्यय को आय–व्यय खाते में बट्टे खाते डाल दिया जाता है।

पेटेंट के लिए मंजूर खर्च को संरक्षणशील आधार पर 9 वर्ष से अधिक समय बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

5. **स्टाक** : रसायनों, ग्लासवेयर, प्रकाशनों और अन्य स्टोर की खरीद पर खर्च राशि की गणना राजस्व खर्च के रूप में की जाती है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च को संस्थानों और विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तदनुरुप राजस्व खर्च को कम करते हुए वस्तु सूची के रूप में अंतिम स्टाक की कीमत निर्धारित की जाती है।

6. **सेवानिवृत्ति लाभ**

सेवानिवृत्ति लाभ यानी पेंशन, उपदान और छुट्टी–नकदीकरण, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जिस कर्मचारी का विश्वविद्यालय में आमेलन हो जाता है उस कर्मचारी के पूर्व नियोक्ता से प्राप्त पेंशन और उपदान के पूंजीकृत मूल्य को सम्बन्धित प्रावधान खातों में क्रेडिट कर दिया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर जेएनयू कर्मचारियों के पेंशन अंशदान को भी पेंशन खाता के लिए प्रावधान में क्रेडिट कर दिया जाता है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ जैसे – जमा से जुड़ी बीमा योजना, नई पेंशन योजना हेतु अंशदान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सेवानिवृत्ति के समय गृह नगर के लिए यात्रा का लेखा–जोखा प्रोदभूत आधार पर रखा जाता है (वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक भुगतान व बकाया बिल)।

7. **निवेश**

7.1 दीर्घ अवधि के निवेश उनकी लागत अथवा अंकित मूल्य जो भी कम हों पर किए जाते है।फिर भी, तुलन–पत्र की तिथि के अनुसार उनके मूल्य में हुई स्थायी कमी को दर्शाया जाता है।

7.2 लघु अवधि के निवेश उनकी लागत अथवा बाजार मूल्य (यदि उद्धृत हों) जो भी कम हों पर किए जाते है।

8. **कार्पस निधि** की स्थापना वर्ष 1996–97 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समान अंशदान, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों से प्राप्त मान्यता/सम्बद्धता शुल्क, परामर्श शुल्क में विश्वविद्यालय का हिस्सा और शोध परियोजनाओं से अंशदान को कार्पस निधि के परिवर्धनों के रूप में माना जाता है।

निधि के निवेश से प्राप्त आय को निधि में जोड़ दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा समय–समय पर जारी मार्गदर्शी नियमों के आधार पर कार्पस निधि का उपयोग राजस्व और पूंजीगत दोनों खर्चों के लिए किया जाता है। कार्पस निधि में से सृजित परिसम्पत्तियों को पूंजीगत निधि में समान राशि को क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों में मिला दिया जाता है। कार्पस निधि में से अग्रेनीत किए गए शेष को अलग बैंक खाते में शेष, आर.बी.आई. बॉण्ड्स और बैंक में आवधिक जमा के रूप में निवेश और निवेशों (वर्तमान परिसम्पतियों) पर प्रोद्भूत ब्याज के द्वारा दर्शाया जाता है।

9. निम्नलिखित दीर्घकालिक निधियों को विशेष उद्देश्यों के लिए उद्दिष्ट किया जाता है। प्रत्येक निधि का अलग से बैंक खाता होता है। जिन खातों में अत्याधिक शेष होते हैं उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और बांड तथा बैंक में सावधिक जमा के रूप में निवेश कर दिया जाता हैं। निवेशों/अग्रिमों (गृह निर्माण और वाहन अग्रिम) से प्रोद्भूत आधार पर प्राप्त आय और बचत बैंक खातों पर ब्याज की राशि को सम्बन्धित निधियों में क्रेडिट कर दिया जाता है। खर्च एवं अग्रिमों (गृह निर्माण और वाहन अग्रिम निधियों के मामले में) को निधि में डेबिट कर दिया जाता है। उद्दिष्ट निधियों में से सृजित परिसम्पत्तियों (जैसे एक्जिम बैंक पुस्तकालय – भवन और पुस्तकें) को पूंजीगत निधि में समान राशि को क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों में मिला दिया जाता है। संबंधित निधियों में शेष को अग्रेनीत कर दिया जाता है और परिसम्पत्तियों के स्तम्भ में बैंक में शेष, निवेश और प्रोद्भूत ब्याज (वर्तमान परिसम्पत्तियों) के द्वारा दर्शाया जाता है।

9.1 **शैक्षिक विकास निधि**

यह निधि 1 फरवरी 2006 में स्थापित की गई थी। इस निधि का उपयोग समय–समय पर कार्य परिषद द्वारा निर्धारित कुछ नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रमों, शोध कार्यों और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाता है।

9.2 **गृह निर्माण अग्रिम निधि**

यह निधि गृह निर्माण के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए एक परिक्रामी निधि है।

9.3 **निप्पान फाउंडेशन निधि**

निप्पान फाउंडेशन द्वारा यू.एस. डालर में उपलब्ध कराई गई निधि का निवेश भारतीय स्टेट बैंक, बहरीन में आवधिक जमा के रूप में दो भागों में किया गया है। पहले भाग से प्राप्त ब्याज को उस भाग में जोड़ कर पुनर्निवेश कर दिया जाता है। दूसरे भाग से प्राप्त ब्याज को भारतीय स्टेट बैंक जेएनयू ब्रांच में पृथक बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान और मानविकी क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करने के लिए किया जाता है।

9.4 **वि.अ.आ.–क.शो.अ. निधि**

यह निधि कनिष्ठ/वरिष्ठ शोधार्थियों को अध्येतावृति प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

9.5 **वाहन निधि**

यह निधि कार, स्कूटर और कंप्यूटर की खरीद के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए एक परिक्रामी निधि है।

9.6 **एग्जिम बैंक पुस्तकालय निधि**

यह निधि एग्जिम बैंक द्वारा इसके नाम पर पुस्तकालय का निर्माण करने और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों और वैज्ञानिक पत्रिकाओं की खरीद के लिए उपलब्ध करायी गई है।

9.7 **अनुप्रयुक्त मानव आनुवंशिकी केंद्र निधि**

यह निधि मानव जिनोमिक्स और सम्बद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोध कार्यक्रम चलाने और राष्ट्रीय स्तर पर संबंध व हिस्सेदारी स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गई है।

9.8 **राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि**

यह निधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति/जन–जाति के छात्रों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए उपलब्ध करायी जाती है।

9.9 **वृत्तिदान निधियाँ**

वृत्तिदान ऐसी निधियाँ है जो दाताओं द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर चेयर स्थापित करने, मैडल और पुरस्कार प्रदान करने के लिए विभिन्न व्यक्तिगत दाताओं, न्यासों और अन्य संगठनों से प्राप्त होती है। प्रत्येक वृत्तिदान निधि का अपना अलग से निवेश होता है, सभी वृत्तिदान निधियों के लिए एक ही बचत बैंक खाता होता है, क्योंकि इनके अनिवेशित शेष नगण्य होते हैं।

प्रत्येक वृत्तिदान निधि के निवेश से प्राप्त आय को निधि में जोड़ दिया जाता है। बचत बैंक खाता पर प्राप्त ब्याज को सभी वृत्तिदान निधियों में वर्ष के अन्त में प्रत्येक निधि के अन्त शेष के अनुपात के अनुसार बांट दिया जाता है। चेयर, पदक और पुरस्कारों पर खर्च राशि को सम्बन्धित वृत्तिदान निधियों में डेबिट कर दिया जाता है और शेष को अग्रेनीत कर दिया जाता है। शेष को आर.बी.आई. बॉण्ड और आवधिक जमा में निवेश और सभी वृत्तिदानों के लिए समान बचत बैंक खाता में कुल शेष के द्वारा दर्शाया जाता है।

10. सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान

10.1 सरकारी अनुदानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों का लेखा नकदीकरण के आधार पर बनाया जाता है। फिर भी, जहाँ किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान को जारी करने के लिए मंजूरी 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है तो इस अनुदान की गणना प्रोद्भूत आधार पर की जाती है तथा एक समान राशि अनुदानकर्ता से वसूलनीय के रूप में दर्शायी जाती है।

10.2 पूंजीगत खर्चों के लिए उपयोग की गई सरकारी अनुदान राशि (प्रोद्भूत आधार पर) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि को पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

10.3 राजस्व खर्च के लिए सरकारी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि (प्रोद्भूत आधार पर), जहाँ तक उपयोग किया गया है, को उस वर्ष की आय के रूप में माना जाता है, जिस वर्ष में अनुदान का नकदीकरण हुआ है।

10.4 अप्रयुक्त अनुदानों (इन अनुदानों में से दिए गए अग्रिमों सहित) को अग्रेनीत कर दिया जाता है और तुलन पत्र में दायित्व के रूप में दर्शाया जाता है।

11. उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों का निवेश और इन निवेशों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय

इन निधियों में उपलब्ध राशि, जो खर्च के लिए तुरन्त अपेक्षित नहीं है, को अनुमोदित प्रतिभूतियों और बांड या बैंक में आवधिक जमा के रूप में निवेश किया जाता है, इसमें बचत बैंक खाता के शेष को छोड़ दिया जाता है।

इन निवेशों पर प्राप्त ब्याज, देय अर्जित ब्याज अदेय अर्जित ब्याज को सम्बन्धित निधियों में जमा कर दिया जाता है और उसे विश्वविद्यालय की आय के रूप में नहीं माना जाता है।

12. **प्रायोजित परियोजनाएं**

12.1 चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रायोजकों से प्राप्त राशि को "वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान – वर्तमान दायित्व – अन्य दायित्व – चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्तियां" शीर्ष में क्रेडिट कर दिया जाता है। इन परियोजनाओं की राशि में से जब कभी खर्च किया जाता है/अग्रिम का भुगतान किया जाता है या सम्बन्धित परियोजना खाते को निर्धारित ऊपरी शीर्ष प्रभार के साथ डेबिट किया जाता है तो दायित्व खाता को डेबिट कर दिया जाता है।

12.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति के लिए वित्तपोषित उद्दिष्ट निधि के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों द्वारा भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रायोजित की जाती है। ऐसे खर्च जो सामान्यतः अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के संवितरण पर होते हैं, जिनमें शोधार्थी और छात्र द्वारा आकस्मिक खर्च शामिल है, को छोड़ कर इनका लेखा भी प्रायोजित परियोजना की तरह ही रखा जाता है।

12.3 विश्वविद्यालय भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रदान करता है, जिनका लेखा–जोखा विश्वविद्यालय के शैक्षिक खर्च के रूप में रखा जाता है।

13 **आय कर**

आय कर अधिनियम की धारा 10(23 सी) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की आय को आय कर से मुक्त रखा गया है। अतः खातों में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

रा.मोहन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची : 21

आकस्मिक देयताएं और लेखाओं से संबंधित टिप्पणियाँ

1. **आकस्मिक देयताएं**

1.1 31.3.2012 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व/वर्तमान कर्मचारियों, किराएदारों, ठेकेदारों द्वारा जेएनयू के विरुद्ध दर्ज किए गए 69 मुकदमे और एक ठेकेदार के साथ तीन आर्बिट्रेशन मुकदमे निर्णयों के लिए लम्बित पड़े थे। कर्मचारियों द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे स्थापना से संबंधित थे – यानी पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतनमान, निलम्बन आदि से संबंधित। इन दावों की राशि का पता नहीं लग सका। ठेकेदारों द्वारा किए गए मुकदमों और आर्बिट्रेशन केस के दावे की राशि रु. 43,83,009 थी।

1.2 जेएनयू की ओर से बैंक द्वारा साख–पत्र खोला गया और 31.3.12 को बकाया राशि रु. 60,37,436/– थी (पूर्व वर्ष में यह राशि रु. 2,43,74,394/– थी)।

2. **पूंजीगत वचनबद्धताएं**

पूंजीगत खाते पर पूरे किए जाने वाले शेष ठेकों की लागत और 31.3.12 को उपलब्ध नहीं कराए गए अग्रिमों की निवल राशि रु. 23.86 करोड़ थी। (पूर्व वर्ष में यह राशि – रु. 41.95 करोड़ थी)

3. **स्थायी परिसम्पत्तियाँ**

3.1 वर्ष 2011–2012 में अनुसूची 5 की स्थायी परिसम्पत्तियों में हुए परिवर्धन में योजनागत निधियों में से खरीदी गई परिसम्पत्तियाँ (चालू पूंजीगत कार्यों में से रु. 15,26,00,000/– के अंतरण सहित रु. 72,11,48,105), योजनेत्तर निधियाँ (रु. 1,02,26,711/–) शैक्षिक विकास निधि (13,95,107/–), एक्जिम बैंक पुस्तकालय निधि (रु. 49,683/–), कार्पस निधि (रु. 6,118/–), प्रायोजित परियोजनाएं (रु. 43,68,935/–) और विश्वविद्यालय को उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकालय–पुस्तकें और अन्य परिसम्पत्तियों के मूल्य रु. 70,225/– शामिल हैं। ये परिसम्पत्तियाँ पूंजीगत निधि में क्रेडिट करके स्थापित की गई हैं।

3.2 31.3.2004 को तुलन पत्र और पूर्व वर्षों के तुलन पत्रों में योजनागत निधियों में से सृजित स्थाई परिसम्पत्तियों और योजनेतर निधियों से सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों को अलग–अलग नहीं दर्शाया गया था। वर्ष 2004–2005 के दौरान योजनागत और योजनेतर निधियों से किए गए परिवर्तनों और उन परिवर्धनों पर मूल्यह्रास को क्रमशः स्थायी परिसम्पत्तियों की मुख्य अनुसूची (अनुसूची–5) की उप अनुसूची 5ए और 5बी और 5सी में अलग–अलग से दर्शाया गया है।

3.3 अनुसूची 5 में दर्शायी गई स्थायी परिसम्पत्तियों में वे परिसम्पत्तियाँ शामिल नहीं हैं जिनकी खरीद प्रायोजित परियोजना निधियों में से की गई है, और विश्वविद्यालय के स्वामित्व में हैं तथा उसके द्वारा प्रयोग की जा रही हैं, क्योंकि परियोजना करार में शामिल अनुबंधों के अनुसार परियोजना निधियों में से खरीदी गई सभी परिसम्पत्तियाँ प्रायोजकों की संपत्ति होंगी।

इन परिसम्पत्तियों का विवरण इस प्रकार से है :

परिसम्पत्तियाँ	1.4.2011 को वास्तविक मूल्य रु.	वर्ष के दौरान परिवर्धन रु.	योग रु.	मूल्यह्रास अथ शेष	वर्ष के लिए नोशनल मूल्यह्रास रु.	कुल मूल्यह्रास	31.3.12 को कुल खाता मूल्य
प्रयोगशाला उपस्कर	24,41,04,351	8,81,12,710	33,22,17,061	4,65,93,642	2,65,77,365	7,31,71,007	25,90,46,054

4. <u>पेटेंट</u> : चालू वर्ष के दौरान पेटेंट पर खर्च के संबंध में पहली बार लेखांकन नीति तैयार की गई है। वर्ष 2008–2009 और 2010–2011 के दौरान मंजूर किए गए पेटेंट पर खर्च की गई राशि और 31.03.2011 के अनुसार लंबित पेटेंट के आवेदनों पर खर्च को वर्ष 2011–2012 के लेखाओं में पूंजीगत निधि में क्रेडिट करते हुए स्थापित किया गया। वर्ष 2011–2012 में खर्च की गई राशि को शीर्ष में सीधे डेबिट कर दिया गया है।

5. **<u>अनुदानः</u>**

   5.1 वर्ष 2008–2009 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आधारभूत संरचना तैयार करने और आवर्ती खर्च, अन्य पिछड़ी जाति की सीटों में हुई वृद्धि संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए रु. 214.18 करोड़ तक का योजनागत अनुदान मंजूर किया गया था। पूंजीगत खर्च (रु. 70.04 करोड़) को वर्ष 2008–2009 से 3 वर्ष के दौरान खर्च किया जाना है और आवर्ती खर्च (रु. 144.14 करोड़) को वर्ष 2008–2009 से 5 वर्ष के दौरान खर्च किया जाना है। इसमें से रुपये 48.96 करोड़ की राशि वर्ष 2011–2012 के दौरान जारी की गई थी, इसमें पूंजीगत खर्च के लिए रुपये 28.96 करोड़ अतिरिक्त अनुदान के रूप में शामिल हैं। इस अनुदान राशि को अनुसूची 8 (अनुदान/सबसिडी) में संरचनागत विकास निधि शीर्ष के अंतगर्त अलग से लेखांकित किया गया।

   5.2 योजनेत्तर अनुदान रु. 10,93,82,000/– का अथशेष वर्ष 2010–11 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी वर्ष 2011–12 के लिए योजनेत्तर अनुदान के अग्रिम को दर्शाता है।

6. **जमा देयताएं** – वित्तीय वर्ष 2009–10 से पूर्व अदावी के रूप में रुपये 14,25,030 की बयाना राशि जमा और प्रतिभूति जमा के रूप में बकाया राशि को राजस्व खाता में स्थानान्तरित किया गया और इसकी गणना वर्ष 2011–12 के लिए विविध आय के रूप में की गई।

7. **वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम**

   प्रबन्धन के मतानुसार वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिमों का सामान्य तौर पर नकदीकरण करने पर जो मूल्य होता है वह कम से कम तुलन–पत्र में दर्शाए गए कुल मूल्य के बराबर होता है।

8. बचत बैंक खाता, चालू खाता (पेंशन) और बैंक में आवधिक जमा खातों में शेषों का विवरण संलग्न 'ए' में दिया गया है।

9. पूर्व वर्षों के आंकड़ों को यथावश्यक फिर से ग्रुपबद्ध किया गया है।

10. अंतिम खातों में आंकड़ों को करीबी रुपयों में राउंड ऑफ किया गया है।

11. अनुसूची 1 से 21 संलग्न है और यह 31 मार्च 2012 के तुलनपत्र और इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के आय व व्यय लेखा के एक अभिन्न भाग के रूप में है।

12. चूँकि भविष्य निधि खाता और नई पेंशन योजना खाता में सदस्यों की ही निधि होती है, न कि विश्वविद्यालय की। अतः इन खातों को वर्ष 2004–2005 से विश्वविद्यालय के खातों से अलग किया गया है। यद्यपि भविष्य निधि खाता के प्राप्ति और अदायगी खाता, आय और व्यय खाता (प्रोद्भूत आधार पर) और तुलन पत्र के साथ–साथ वर्ष 2011–12 के लिए नई पेंशन योजना को विश्वविद्यालय के लेखाओं के साथ संलग्न किया गया है। पीआरए नम्बर आबंटित 426 कर्मचारियों के संबंध में नई पेंशन योजना निधि का बड़ा हिस्सा (रु. 4.84 करोड़) 31 मार्च 2012 तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)–सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) को स्थानांतरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के पास नई पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध लगभग 55 कर्मचारियों से संबंधित शेष राशि को इन्हें एक बार एजेंसी द्वारा पीआरए नम्बर आबंटित करते ही वर्ष 2012–2013 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष का प्राप्ति और अदायगी–लेखा

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	अदायगियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I अथ शेष			I. व्यय		
क. हाथ रोकड़	2,68,979	6,68,534	क. स्थापना	47,53,71,307	36,39,22,075
ख. बैंक शेष			ख. प्रशासनिक	37,36,79,171	35,96,48,931
– चालू खाते में	1,53,86,577	2,31,15,958	ग. शैक्षिक	26,58,98,077	21,74,98,845
– बचत खाते में	1,36,52,40,307	1,06,62,62,046	घ. मरम्मत और अनुरक्षण	3,23,30,136	3,13,64,626
– जमा खाते में			च. पूर्व अवधि के व्यय	72,49,647	1,09,09,080
II. प्राप्त अनुदान	2,76,27,97,143	2,31,09,43,689	II. उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों		
III. दान और अंश दान			के लिए अदायगियाँ	31,80,86,096	19,62,61,054
IV. शैक्षिक प्राप्तियाँ	5,55,74,344	3,42,08,531	III. प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं		
V. उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों के लिए प्राप्तियाँ	36,27,95,002	30,32,91,453	के लिए अदायगियाँ	30,37,49,991	30,28,38,477
VI. अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11,59,51,000	–	IV. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों		
VII. प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं के			के लिए अदायगियाँ	14,21,78,985	9,85,22,852
लिए प्राप्तियाँ	30,37,53,903	24,52,54,813	V. निवेश	29,41,76,267	44,29,49,304
VIII. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों/			VI. स्थायी परिसम्पत्तियों और पूंजीगत		
छात्रवृत्तियों के लिए प्राप्तियाँ	17,52,54,216	15,06,53,248	कार्य (चल रहे) पर खर्च		
IX. निवेश से आय	2,00,79,235	1,50,64,524	क. स्थायी परिसम्पत्तियाँ	8,25,37,139	10,55,07,286
X. प्राप्त ब्याज	3,81,70,022	1,94,27,078	ख. चल रहे पूंजीगत कार्य	19,07,707	8,94,657
XI. जमा और अग्रिम	15,15,60,147	5,75,94,724	VII. वेतन से संबंधित अदायगियाँ	90,54,64,161	85,28,28,622
XII. अन्य आय	5,23,40,829	8,44,76,582	VIII. सांविधिक अदायगियाँ सहित अन्य अदायगियाँ	1,77,66,080	1,67,24,515
XIII. सांविधिक प्राप्तियों सहित विविध प्राप्तियाँ	11,06,069	10,54,550	IX. कॉर्पस निधि	31,32,643	38,44,142
XIV. कॉर्पस निधि	5,77,50,560	1,22,10,979	X. जमा और अग्रिम	64,74,81,636	42,12,68,530
XV. निवेश	27,45,15,905	43,57,76,020	XI. अनुदान वापसी	1,40,451	–
XVI. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा	30,35,21,805	74,40,10,047	XII. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा	32,79,97,134	69,81,33,918
			XIII. अन्त शेष –		
			क. हाथ रोकड़	3,51,682	2,68,979
			ख. बैंक शेष		
			– चालू खाते में	3,13,90,268	1,53,86,577
			– बचत खाते में	1,82,51,77,464	1,36,52,40,307
योग	6,05,60,66,042	5,50,40,12,777	योग	6,05,60,66,042	5,50,40,12,777

अनुभाग अधिकारी (लेखा)   उप वित्त अधिकारी   वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2012 को तुलन–पत्र

राशि 31.03.2011	देयताएं		राशि 31.03.2012	राशि 31.03.2011	परिसंपत्तियाँ		राशि 31.03.2012
87,12,56,589	**सामान्य भविष्य निधि**			1,04,85,08,930	निवेश		1,08,84,07,210
	अथ शेष	87,12,56,589		2,68,46,065	31 मार्च 12 को प्रोद्भूत ब्याज		2,60,39,971
	घटाः मार्च,11 के लिए अंशदान	1,30,28,714			मार्च 12 के लिए देय अंशदान		
		85,82,27,875			सा.भ.नि.	1,30,32,814	
	जमा – अंशदान	16,76,05,614			अं.भ.नि.	12,91,061	
	जमा – क्रेडिट किया गया ब्याज	6,79,05,845			विश्वविद्यालय अंशदान	4,19,702	
	जमा– मार्च, 12 के लिए अंशदान	1,30,32,814		1,50,61,982	न.पें.यो.–II	3,05,480	1,50,49,057
	घटा – अग्रिम/निकासी	21,16,27,476	89,51,44,672		हाथ रोकड़		
12,62,59,810	**अंशदायी भविष्य निधि**				एस.बी.आई,जनेवि शाखा-I	2,12,98,271	
	अथ शेष	12,62,59,810			एस.बी.आई,जनेवि शाखा-II	4,67,947	
	घटा –मार्च,11 के लिए अंशदान	13,27,514		2,53,44,526	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	98,25,165	3,15,91,383
		12,49,32,296					
	जमा – अंशदान	1,76,10,472					
	जमा – क्रेडिट किया गया ब्याज	1,01,01,240					
	जमा – मार्च,12 के लिए अंशदान	12,91,061					
	घटा – अग्रिम/निकासी	1,96,86,775	13,42,48,295				
7,11,81,494	**विश्वविद्यालय का अंशदान**						
	अथ शेष	7,11,81,494					
	घटा –मार्च,11 के लिए अंशदान	4,42,404					
		7,07,39,090					
	जमा – अंशदान	58,50,217					
	जमा – क्रेडिट किया गया ब्याज	61,94,057					
	जमा – मार्च,12 के लिए अंशदान	4,19,702					
	घटा – अग्रिम/निकासी	74,27,809	7,57,75,257				
75,87,006	**न.पें.यो. टीयर–II खाता**						
	अथ शेष	75,87,006					
	घटा – मार्च,11 के लिए अंशदान	2,63,350					
		73,23,656					
	जमा – अंशदान	34,14,690					
	जमा – क्रेडिट किया गया ब्याज	7,17,582					
	जमा – मार्च,12 के लिए अंशदान	3,05,480					
	घटा – वापसियां	7,70,626	1,09,90,782				
3,94,76,604	**ब्याज आरक्षित**						
	अथ शेष	3,94,76,604					
	जमा – व्यय से आय की अधिकता	54,52,012	4,49,28,616				
1,11,57,61,503	योग		1,16,10,87,621	1,11,57,61,503	योग		1,16,10,87,621

अनुभाग अधिकारी (लेखा)   उप वित्त अधिकारी   वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष का आय और व्यय लेखा

राशि 31.03.2011	व्यय	राशि 31.03.2012	राशि 31.03.2011	आय		राशि 31.03.2012
	ब्याज क्रेडिट किया –		8,18,36,546	निवेश पर अर्जित ब्याज	9,11,76,830	
6,62,04,739	सामान्य भविष्य निधि खाता	6,79,05,845		जमा–मार्च 12 में प्रोदभूत लेकिन अप्राप्य ब्याज	2,60,39,971	
97,62,034	अंशदायी भविष्य निधि खाता	1,01,01,240			11,72,16,801	
52,87,393	विश्वविद्यालय अंशदान	61,94,057		घटा – मार्च 2011 में प्रोदभूत ब्याज	2,68,46,065	9,03,70,736
4,79,169	नई पेंशन योजना टीयर II खाता	7,17,582				
1,03,211	व्यय से आय की अधिकता	54,52,012				
8,18,36,546	**योग**	**9,03,70,736**	**8,18,36,546**	**योग**		**9,03,70,736**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

भविष्य निधि खाता

वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा

प्राप्तियाँ		राशि	अदायगियाँ		राशि
1.4.11 को अथ शेष			सा.भ.नि. अग्रिम/निकासी		21,16,27,476
एस.बी.आई. जेएनयू शाखा–I	1,13,52,990		अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम निकासी		1,96,86,775
एस.बी.आई. जेएनयू शाखा–II	4,50,515		नई पेंशन योजना–II		7,70,626
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	1,35,41,021	2,53,44,526	विश्वविद्यालय अंशदान निकासी		74,27,809
सामान्य भविष्य निधि अंशदान	16,76,05,614		वर्ष के दौरान निवेश		11,67,98,280
अंशदायी भविष्य निधि अंशदान	1,76,10,472		**अंत शेष :–**		
विश्वविद्यालय अंशदान	58,50,217		एस.बी.आई. जेएनयू शाखा–I	2,12,98,271	
नई पेंशन योजना टीयर–II खाता	34,14,690	19,44,80,993	एस.बी.आई. जेएनयू शाखा–II	4,67,947	
निवेश भुनाए		7,69,00,000	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	98,25,165	3,15,91,383
प्राप्त ब्याज		9,11,76,830			
	योग	**38,79,02,349**	**योग**		**38,79,02,349**

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

नई पेंशन योजना टीयर–I खाता

31 मार्च, 2012 को तुलन–पत्र

राशि 31.03.2011	देयताएं		राशि 31.03.2012	राशि 31.03.2011	परिसम्पत्तियाँ	राशि 31.03.2012
	न.पे.यो. टीयर–1 खाता				**न.पे.यो. टीयर–1 खाता**	
1,82,78,608	अथ शेष	1,82,78,608		4,30,914	मार्च 12 में देय अंशदान	3,86,240
	घटा – मार्च,11 के लिए अंशदान	4,30,914				
		1,78,47,694		1,70,00,000	निवेश	1,80,00,000
	जमा – अंशदान+वि.अं.	52,38,308		8,11,646	प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नही	1,26,815
	जमा – क्रेडिट किया गया ब्याज	13,06,439		16,64,777	बैंक शेष	41,30,394
		2,43,92,441				
	घटा – आहरण	42,19,650				
		2,01,72,791				
	जमा – अंशदान+वि.अं.3 / 12	3,86,240	2,05,59,031			
8,11,612	31.3.2012 के अनुसार अनुरक्षण खाते में कुल देय राशि		8,11,612			
8,17,117	व्यय से आय की अधिकता					
	बकाया – 1.4.2011	8,17,117				
	जमा – वर्ष के दौरान	4,55,689	12,72,806			
1,99,07,337	**योग**		**2,26,43,449**	**1,99,07,337**	**योग**	**2,26,43,449**

अनुभाग अधिकारी (लेखा)   उप वित्त अधिकारी   वित्त अधिकारी

नई पेंशन योजना टीयर–I खाता
वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए आय और व्यय लेखा

राशि 31.03.2011	व्यय	राशि 31.03.2012	राशि 31.03.2011	आय		राशि 31.03.2012
11,25,861	अंशदायी खाते में क्रेडिट ब्याज	13,06,439	19,43,148	निवेश पर अर्जित ब्याज	24,46,959	
170	बैंक प्रभार	–				
				जमा : 31.3.2012 के अनुसार प्रोद्भूत ब्याज	1,26,815	
					25,73,774	
				घटा : 31.3.2010 के अनुसार प्रोद्भूत ब्याज	8,11,646	17,62,128
8,17,117	व्यय से आय की अधिकता	4,55,689		आय से व्यय की अधिकता		–
19,43,148	**योग**	**17,62,128**	**19,43,148**	**योग**		**17,62,128**

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

नई पेंशन योजना टीयर–I खाता

वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा

प्राप्तियाँ		राशि	अदायगियाँ	राशि
1.4.2011 को अथ शेष		16,64,777	31.03.12 को अन्त शेष	41,30,394
<u>न.पें.यो. टीयर I खाता</u>				
स्वयं का अंशदान	26,50,385		निवेश	60,00,000
विश्वविद्यालय का अंशदान	<u>25,87,923</u>	52,38,308	आहरण / एनएसडीएल को वापसी	42,19,650
निवेश पर प्राप्त ब्याज		24,46,959		
निवेश भुनाए		50,00,000		
योग		**1,43,50,044**	**योग**	**1,43,50,044**

अनुभाग अधिकारी (लेखा) | उप वित्त अधिकारी | वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन

हमने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (ज.ने.वि.), के 31 मार्च, 2012 को संलग्न तुलन–पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखाओं की लेखा–परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) (जेएनयू अधिनियम 1966 की धारा 20(1) के साथ पठित) के अन्तर्गत की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रबन्धन की है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर लेखा–परीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करने की है।

2. इस पृथक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा परिपाटियों के साथ एकरूपता, लेखांकन मापदण्ड और प्रकटन प्रतिमानकों आदि के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया पर केवल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षा की टिप्पणियाँ हैं। विधि, नियम और विनियमों (उपयुक्तता एवं नियमितता) तथा दक्षता–व–निष्पादन पक्षों आदि के अनुपालन के संबंध में किए गए वित्तीय लेन–देनों पर यदि कोई लेखा–परीक्षा अभ्युक्तियाँ हैं तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा–परीक्षण मानकों के अनुरूप अपनी लेखा–परीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों के आर्थिक अयथार्थ विवरणों से मुक्त होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजनागत तरीके से लेखा–परीक्षा निष्पादित करें। लेखा–परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटन समर्थित साक्ष्य की नमूना आधार पर जाँच शामिल है। लेखा–परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा तैयार किए गए सार्थक अनुमानों के निर्धारण के साथ वित्तीय विवरणों में पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि लेखा–परीक्षा हमारे विचारों को उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :

i. लेखा–परीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने आवश्यक सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

ii. इस लेखा–परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखे/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित फार्मेट में तैयार किए गए हैं।

iii. हमारी राय में, अभी तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा उचित लेखा पुस्तकें और अन्य संगत रिकार्ड यथा अपेक्षित अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि हमारे द्वारा इन पुस्तकों की जाँच से प्रतीत होता है।

iv. हम पुनः सूचित करते हैं कि :

क. सहायक अनुदान

वर्ष 2011–12 के दौरान विश्वविद्यालय ने रुपये 276.28 करोड़ (योजनागत रुपये 108.25 करोड़ और योजनेत्तर रुपये 168.03 करोड़) की अनुदान राशि प्राप्त की तथा इसके पास रुपये 147.59 करोड़ का अथ शेष था। सहायता अनुदान में से रुपये 276.28 करोड़ वर्ष के दौरान प्राप्त किए तथा रूपये 81.16 करोड़ (योजनागत रुपये 44.07 करोड़ और योजनेत्तर रुपये 37.09 करोड़) मार्च, 2012 में प्राप्त किए थे। विश्वविद्यालय ने रुपये 216.22 करोड़ का उपयोग किया तथा इसके पास रुपये 207.65 करोड़ शेष थे।

ख. प्रबन्धन–पत्र

कुछ अभियुक्तियों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, जिन्हें उपचारात्मक/सार्थक कदम उठाने के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन–पत्र के माध्यम से जेएनयू के कुलपति की जानकारी में लाया गया।

v. पूर्ववर्ती पैराओं में हमारे अवलोकन के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन–पत्र तथा आय और व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों के साथ मेल खाते हैं।

vi. हमारी राय तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों तथा उन पर टिप्पणियों के साथ पठित तथा इसके साथ संलग्न लेखा परीक्षा–रिपोर्ट उपरोक्त उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों और अन्य मामलों के अधीन सामान्य तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप सही एवं उचित रूप प्रस्तुत करते हैं :

क. जहाँ तक ये 31 मार्च, 2012 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के तुलन–पत्र से संबंधित हैं, तथा

ख. जहाँ तक ये उसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे की कमी से संबंधित है।

स्थान : नई दिल्ली **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से**

ह0/–

महानिदेशक लेखापरीक्षा

दिनांक : 29.10.2012 **केन्द्रीय राजस्व**

संलग्नक–I

1. **आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति की उपयुक्तता**

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपना आन्तरिक लेखा–परीक्षा विभाग है।
- आपत्तियों के समाधान के लिए पर्याप्त रूप से अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि 31.3.2012 के अनुसार 266 पैरा शेष थे।

2. **आन्तरिक नियंत्रण पद्धति की उपयुक्तता**

- जेएनयू में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपयुक्त नहीं है क्योंकि बैंक समाधान विवरण पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है।
- वर्ष 2002–2003 से रु. 20.61 लाख के असमायोजित छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) अग्रिम लंबित थे। उनकी वसूली/समायोजित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई।

3. **परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति**

- वर्ष 2011–12 तक परिसम्पत्तियों (पुस्तकालय पुस्तकों को छोड़कर) का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।
- वर्ष 2004–05 से पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन पुस्तकों के पूर्व संपरिवर्तन के कारण नहीं किया गया था।

4. **सामान सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति**

- वर्ष 2011–2012 के लिए स्टेशनरी और अन्य उपभोज्य वस्तुओं के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था और कोई विसंगति नहीं पाई गई।

5. **सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता**

- लेखाओं के अनुसार 31.3.2012 को पिछले छः महीने से अधिक अवधि की किसी भी तरह की सांविधिक देय राशि के भुगतान शेष नहीं थे।

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन और उस पर विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

क. सहायक अनुदान

वर्ष 2011–12 के दौरान विश्वविद्यालय ने रुपये 276.28 करोड़ (योजनागत रुपये 108.25 करोड़ और योजनेत्तर रुपये 168.03 करोड़) की अनुदान राशि प्राप्त की तथा इसके पास रुपये 147.59 करोड़ का अथ शेष था। सहायता अनुदान में से रुपये 276.28 करोड़ वर्ष के दौरान प्राप्त किए तथा रूपये 81.16 करोड़ (योजनागत रुपये 44.07 करोड़ और योजनेत्तर रुपये 37.09 करोड़) मार्च, 2012 में प्राप्त किए थे। विश्वविद्यालय ने रुपये 216.22 करोड़ का उपयोग किया तथा इसके पास रुपये 207.65 करोड़ शेष थे।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

यह एक तथ्यात्मक विवरणिका है अतः कोई टिप्पणी नहीं है।

ख. प्रबन्धन–पत्र

कुछ अभियुक्तियों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, जिन्हें उपचारात्मक/सार्थक कदम उठाने के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन–पत्र के माध्यम से जेएनयू के कुलपति की जानकारी में लाया गया।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

अलग प्रबन्धन पत्र में कुलपति जेएनयू को भेजी गई अभियुक्तियों के उत्तर अलग से दिए गए हैं।

शेखर धर

उप वित्त अधिकारी (लेखा)

लेखा–परीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक

1. आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति की उपयुक्तता

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपना आन्तरिक लेखा–परीक्षा विभाग है।
- आपत्तियों के समाधान के लिए पर्याप्त रूप से अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि 31.3.2012 के अनुसार 266 पैरा शेष थे।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

- **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के 266 पैराओं में से वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के 120 पैरा का समाधान कर लिया गया है।**

2. आन्तरिक नियंत्रण पद्धति की उपयुक्तता

- जेएनयू में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपयुक्त नहीं है क्योंकि बैंक समाधान विवरण पर उचित अनुवर्ती कार्यवाई नहीं की गई है।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

यह उल्लेख किया जाता है कि यद्यपि विश्वविद्यालय के लेखाओं की लेखा–परीक्षा इसकी स्थापना (1966) से नियंत्रक और महालेखा–परीक्षक द्वारा की जा रही है, बैंक समाधान का मामला पहली बार नियंत्रण और महा–लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2010–2011 में उठाया गया। तभी से विश्वविद्यालय ने बकाया राशि के समाधान के लिए सभी तरह के प्रयास किए हैं और वर्तमान में बकाया के कुछ मामले तो बहुत ही नगण्य हैं।

मामले के निपटान हेतु बैंक के साथ मिलकर कार्रवाई चल रही है ताकि शेष असमायोजित राशि के समाशोधन हेतु डेबिट का पता लगाने के साथ–साथ जमाओं को शीघ्र वसूला जा सके।

- वर्ष 2002–2003 से रु. 20.61 लाख के असमायोजित छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) अग्रिम लंबित थे। उनकी वसूली/समायोजित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

पिछले वर्ष के दौरान स्टाफ को दिए गए कुल अग्रिमों से छुट्टी यात्रा (एलटीसी) अग्रिम की राशि को पृथक करने के प्रयास किए गए। समाधान की प्रक्रिया वर्ष 2012–2013 के दौरान जारी रहेगी तथा समाधान की स्थिति अगली लेखा–परीक्षा के दौरान प्रस्तुत कर दी जाएगी।

पुराने बकाया छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिमों की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं और इसे अगली लेखा–परीक्षा में दर्शाया जाएगा।

3. परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति

- परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन (पुस्तकालय पुस्तकों को छोड़कर) वर्ष 2011–2012 तक किया गया।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

कोई टिप्पणी नहीं

- वर्ष 2004–2005 से पुस्तकालय पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन पुस्तकों के पूर्व संपरिवर्तन के कारण नहीं किया गया था।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

पुस्तकालय पुस्तकों के स्टॉक का सत्यापन का कार्य पिछले 5 वर्षों से नहीं किया जा सका क्योंकि पुस्तकों के पूरे संग्रह का पूर्व संपरिवर्तन का कार्य वर्ष 2000 से चल रहा था। पुस्तकों का पूर्व संपरिवर्तन का कार्य लगभग समाप्त होने वाला है। चूँकि पुस्तकालय में 5 लाख से अधिक पुस्तकों का संग्रह है, इसलिए स्टाक सत्यापन का कार्य सामाजिक विज्ञान, मानविकी और विज्ञान विषयों में विषय–वार चरणों में किया जाएगा।

पूर्व संपरिवर्तन के बाद स्टॉक सत्यापन के उद्देश्य हेतु पुस्तकालय डाटाबेस से पुस्तकों का विषय–वार सूची तैयार की जाएगी। एक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की देख–रेख में एक स्टॉक सत्यापन प्रकोष्ठ की स्थापना की जा रही है, यह महत्वपूर्ण कार्य को करेगी।

कृपया यह भी नोट करें कि पुस्तकालय राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर वर्ष भर प्रातः 9.00 बजे से मध्य रात्रि 12.00 बजे तक खुला रहता है। इसमें एक ओपन एक्सेस सिस्टम है। यह विश्वविद्यालय के छात्रों, शोध छात्रों, और संकाय सदस्यों द्वारा काफी उपयोग में लाया जा रहा है।

संग्रह के पुनर्गठन का कार्य भी अब किया जा रहा है। यह अक्टूबर, 2012 तक पूरा होगा। क्षतिग्रस्त पुस्तकों और बट्टे खाते में डाली गई पुस्तकों की सूची जैसी कई सूचियाँ तैयार की जा रहा हैं। 2.8 लाख से अधिक पुस्तकों का कैटलाग भी तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2013 के अंत तक इस कार्य के पूरा होने की संभावना है।

सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार मई–जून, 2013 में रेंडम स्टाक सत्यापन किया जाएगा; यदि आवश्यकता हुई तो स्टॉक सत्यापन मई–जुलाई, 2014 में किया जाएगा।

4. सामान सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति

- वर्ष 2011–2012 के लिए स्टेशनरी और अन्य उपभोज्य वस्तुओं के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया और कोई विसंगति नहीं पाई गई।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

- कोई टिप्पणी नहीं

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

- लेखाओं के अनुसार 31.3.2012 को पिछले छः महीने से अधिक अवधि की किसी भी तरह की सांविधिक देय राशि के भुगतान शेष नहीं थे।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

- कोई टिप्पणी नहीं

उप वित्त अधिकारी (लेखा)